

# दूसरी SECOND

# अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

### केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर) (Excluding Railways)

# 2006-2007

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसम्बर December, 2006

#### परिचायक टिप्पणी

विषय: अनुदानों की पूरक मांगों का दूसरा बैच, 2006-07

वर्ष 2006-2007 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के दूसरे बैच में 53 अनुदान शामिल हैं। 21,823.92 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि 11,444.76 करोड़ रुपए है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय की राशि 10,378.64 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, 0.52 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

2. अतिरिक्त व्यय जिसमें निवल नकद व्यय शामिल है, की मदें निम्नलिखित हैं :

#### INTRODUCTORY NOTE

**Subject:** Second Batch of Supplementary Demands for Grants, 2006-2007.

The second batch of Supplementary Demands for Grants for 2006-07 includes 53 Grants. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of Rs. 21,823.92 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs.11,444.76 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to Rs. 10,378.64 crore. Besides, token provision of Rs. 0.52 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

		(क	रोड़ रुपए Rupee	s in Crore)
	Curry No. 9 didle and description of items	आयोजना	आयोजना-भिन्न	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
8 उर्वरक विभाग	8 Department of Fertilisers			
(क) (i) आयातित यूरिया (700.00 करोड़ रुपए), (ii) देशी विनियंत्रित उर्वरक (1300.00 करोड़ रुपए) और (iii) आयातित विनियंत्रित उर्वरक 700.00 करोड़ रुपए) पर सब्सिडी के लिए।	(a) For subsidy on (i) imported urea (Rs.700.00 crore), (ii) indigenous decontrolled fertilisers (Rs. 1300.00 crore) and (iii) imported decontrolled fertilisers (Rs. 700.00 crore).		2000.00	2000.00
(ख) नाइट्रोजनी उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए।	(b) For subsidy on Nitrogenous Fertilisers.		1700.00	1700.00
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
10 कोयला मंत्रालय	10 Ministry of Coal			
(क) कोयला खान पेंशन योजना, 1978 के तहत पेंशन सह-अनुग्रह राशि के संबंध में सरकारी अंशदान के भुगतान हेतु।	<ul><li>(a) For payment of government contribution towards Pension cum <i>Ex-gratia</i> fund under Coal Mines Pension Scheme, 1978.</li></ul>		0.50	0.50
(ख) कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा (179.99 करोड़ रुपए) तथा (ii) कोयला क्षेत्रों में परिवहन ढांचा का विकास (26.93 करोड़ रुपए) के संबंध में भुगतान हेतु।	(b) For payments towards (i) Conservation and Safety in Coal Mines (Rs.179.99 crore) and (ii) Development of Transport Infrastructure in Coal-field Areas			121 21
	(Rs. 26.93 crore).	131.21	•••	131.21
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND			
6	INFORMATION TECHNOLOGY			
13. डाक विभाग	13 Department of Posts			
(क) एक दुर्घटना के मामले में न्यायालय के फैसले की तुष्टि में दावेदारों को क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु।	<ul><li>(a) For payment of compensation to claimants in an accident case in satisfaction of court judgement.</li></ul>		0.03	0.03
<ul><li>(ख) डाकघर और सहायक-पोस्टमास्टर क्वीटर, कोल्लम मंडल, केरल परिमंडल के निर्माण के संबंध में न्यायालय के फैसले की वजह</li></ul>	<ul><li>(b) For payment of interest arising out of court judgement on construction of post office and Sub Post Master quarters,</li></ul>			
से ब्याज के भुगतान हेतु।	Kollam Division, Kerala Circle.	0.01		0.01
14 दूरसंचार विभाग भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को अपने कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी के भुगतान के	14 Department of Telecommunications For providing loan to Indian Telephone Industries Limited for payment of salary and			
लिए ऋण प्रदान करने हेतु।	wages to its employees.		25.00	25.00

				रोड़ रुपए Rupees	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण		Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		विकास मंत्रालय MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	28 Ministry of Development of North Eastern Region			
	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामैक) को अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण प्रदान करने हेतु।	For providing loan to North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited (NERAMAC) for meeting their working capital requirements.		2.00	2.00
विदे	रा मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
30	विदेश मंत्रालय	30 Ministry of External Affairs			
	(क) अकबर भवन संबंधी वर्धित किराए के भुगतान हेतु।	(a) For payment of increased rental on Akbar Bhavan.		11.76	11.76
	(ख) (i) भारत में आयोजित होने वाले बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (बिम्स्टैक) शिखर सम्मेलन हेतु बंगाल की खाड़ी की पहल और अफगानिस्तान संबंधी क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (आरईसी) सम्मेलन (0.82 करोड़ रुपए), (1) डिजिटल डिवाइड (1.05 करोड़ रुपए), (2) कॉमनवेल्थ फाउंडेशन (0.07 करोड़ रुपए), (3) यूएन कैपिटल मास्टर प्लान (0.12 करोड़ रुपए), (4) यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन फंड (9.50 करोड़ रुपए) (5) साख्य फंड फॉर डेवेलपमेंट एंड हयूमैनिटेरियन असिस्टेंस (9.40 करोड़ रुपए), (6) सेन्ट्रल इमरजेंसी रेस्पॉन्स फंड (9.40 करोड़ रुपए), (7) केपीटल फंड फॉर साख्य सेन्टर फॉर साख्य-साख्य कोऑपरेशन जिनेवा (4.70 करोड़ रुपए) और (8) आसियान डेवलपमेंट फंड (1.65 करोड़ रुपए) के लिए, कामनवेल्थ एक्शन प्लान को अंशदान, (iii) बुसेल्स और जापान में भारतीय महोत्सव और भारत में लातीन अमरीकी देशों का महत्व (2.00 करोड़ रुपए) तथा (iv) (1) 14वें सार्क/बिम्सटैक/ई शिखर सम्मेलन के लिए 11 बुलेट फ्रूफ कारों की खरीद (17.75 करोड़ रुपए) और (2) लेबनान के पुनर्निर्माण हेतु मानवतावादी और राहत प्रयासों के संबंध में अंशदान के भुगतान (4.94 करोड़ रुपए) संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on (i) Bay of Bengal initiative for Multi- Sectoral Technical & Economic Cooperation (BIMSTEC) Summit and Regional Economic Cooperation (REC) Conference on Afghanistan to be held in India (Rs. 0.82 crore), (ii) Contributions to Commonwealth Action Plan for (1) Digital Divide (Rs. 1.05 crore), (2) Commonwealth Foundation (Rs. 0.07 crore), (3) UN Capital Master Plan (Rs. 0.12 crore), (4) UN Peace Building Commission fund (Rs. 9.50 crore), (5) South Fund for Development and Humanitarian Assistance (Rs. 9.40 crore), (6) Central Emergency Response Fund (Rs. 9.40 crore), (7) Capital Fund for South Centre for South-South Cooperation, Geneva (Rs. 4.70 crore) and (8) ASEAN Development Fund (Rs. 1.65 crore), (iii) Festival of India in Brussels and Japan and Festival of Latin American countries in India (Rs. 2.00 crore) and (iv) (1) purchase of 11 Bullet Resistant Cars for 14th SAARC/ BIMSTEC/E Summit (Rs.17.75 crore) and (2) payment of contribution to humanitarian and relief efforts to rebuild Lebanon (Rs.4.94 crore).		61.40	61.40
	(ग) (i) परियोजना संबद्ध सहायता और उत्पाद शुल्क वापसी के तहत भूटान को (50.00 करोड़ रुपए), (ii) अर्मेनिया को 240 ट्रैक्टरों की आपूर्ति हेतु परियोजना के आंशिक वित्तपोषण हेतु केन्द्रीय एशिया को (3.00 करोड़ रुपए) और (iii) म्यांमार में कॉन्टिनेंटल शेल्फ की रूपरेखा और तामु कोलेमयो कलेवा सड़क की पुनर्मरम्मत हेतु सहायता के लिए म्यांमार को (15.00 करोड़ रुपए) सहायता प्रदान करने हेतु।	(c) For aid to (i) Bhutan under Project Tied Assistance and Excise Duty Refund (Rs. 50.00 crore), (ii) Central Asia for part funding of the project for supply of 240 tractors to Armenia (Rs. 3.00 crore) and (iii) Myanmar for assistance for delineation of continental shelf in Myanmar and resurfacing of the Tamu-Kalemyo Kalewa Road (Rs. 15.00 crore).		68.00	68.00

					रोड़ रुपए Rupee	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
अनुव	ग्नन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवर <b>ण</b>	Gı	ant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	न जोड़ Total
वित्त	मंत्रालय	MI	NISTRY OF FINANCE			
33	(क) आंध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के ऋण से दबे किसानों को ब्याज राहत प्रदान करने हेतु।	33	Payments to Financial Institutions  (a) For providing interest relief to the debt stressed farmers of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and Maharashtra.		1359.13	1359.13
	(ख) किसानों को अल्पावधिक ऋण संबंधी ब्याज सहायता प्रदान करने हेतु।	2.5	(b) For providing interest subvention on short term credit to farmers.	•••	1000.00	1000.00
35	(क) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधान की राशि की व्यवस्था करने	35	Transfers to State and Union Territory Governments  (a) To provide for the recoupment of the National Calamity Contingency Fund.		500.00	500.00
	के लिए। (ख) (i) सेवाओं में सुधार और विशेष समस्याओं हेतु अनुदान (98.69 करोड़ रुपए) और (ii) प्रोत्साहन निधियों में केन्द्र का अंशदान (96.92 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु।		(b) To provide (i) grants for Upgradation of Services and Special Problems (Rs.98.69 crore) and (ii) Centre's contribution to Incentive Funds			
	(ग) (i) सामान्य केन्द्रीय सहायता (2100.00 करोड़ रुपए), (ii) विशेष केन्द्रीय सहायता (436.30 करोड़ रुपए) और (iii) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (900.00 करोड़ रुपए) हेतु प्रावधान की व्यवस्था के लिए।		<ul> <li>(Rs.96.92 crore).</li> <li>(c) To provide for (i) Normal Central Assistance (Rs. 2100.00 crore), (ii) Special Central Assistance (Rs. 436.30 crore) and (iii) National Social Assistance Programme (Rs. 900.00 crore).</li> </ul>	3436.30	195.61	195.61 3436.30
38	व्यय विभाग छठे केन्द्रीय वेतन आयोग संबंधी व्यय के लिए	38	Department of Expenditure For expenditure towards the Sixth Central	3430.30		3430.30
41	राजस्व विभाग	41	Pay Commission.  Department of Revenue		3.72	3.72
	मूल्य वर्द्धित कर (वैट) लागू करने से हुई राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति हेतु।		For compensation to State Governments for revenue loss due to introduction of Value Added Tax (VAT).		100.00	100.00
-	मंत्राल <b>य</b>		NISTRY OF HOME AFFAIRS			
52	पुलिस (i) असम राइफल्स (93.00 करोड़ रुपए), (ii) सीमा सुरक्षा बल (95.13 करोड़ रुपए), (iii) केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल (210.28 करोड़ रुपए), (iv) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (47.90 करोड़ रुपए), (v) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (12.00 करोड़ रुपए), (vi) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (14.12 करोड़ रुपए), (vii) सशस्त्र सीमा बल (50.00 करोड़ रुपए) और (viii) दिल्ली पुलिस (25.09 करोड़ रुपए) के स्थापना व्यय हेतु।	52	Police For establishment expenditure of (i) Assam Rifles (Rs. 93.00 crore), (ii) Border Security Force (Rs. 95.13 crore), (iii) Central Reserve Police Force (Rs. 210.28 crore), (iv) Central Industrial Security Force (Rs. 47.90 crore), (v) National Security Guard (Rs. 12.00 crore), (vi) Indo-Tibetan Border Police (Rs.14.12 crore), (vii) Sashastra Seema Bal (Rs. 50.00 crore) and (viii) Delhi Police (Rs.25.09 crore).		547.52	547.52
	ोण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु विदेशी सहायता के स्थानांतरण हेतु।		NISTRY OF RURAL DEVELOPMENT Department of Rural Development (b) For pass-through of external assistance for implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.	250.00		250.00
सांबि 89	ख्येकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नवगठित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति हेतु।	MI 89	NISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION Ministry of Statistics and Programme Implementation For meeting the administrative expenditure of the newly constituted National Statistical			
	a 3		Commission.		0.67	0.67

				रोड़ रुपए Rupee	
अनुद	ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन् Non Plan	न जोड़ Total
	त मंत्रालय इस्पात मंत्रालय (क) भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड के कर्मचारियों को बकाया वेतनों एवं मजदूरी तथा सांविधिक देय राशियों के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय (30.46 करोड़ रुपए) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रकशन लिमिटेड के कर्मचारी को वेतन एवं मजदूरी संबंधी व्यय (21.44 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF STEEL  90 Ministry of Steel  For meeting (a) additional expenditure on payment of outstanding salaries and wages and statutory dues to the employees of Bharat Refractories Limited (Rs. 30.46 crore) and (b) expenditure on salaries and wages to the employees of Hindustan Steelworks Construction Limited (Rs. 21.44 crore).		51.90	51.90
कुल	नकद व्यय	Total Cash Outgo	3817.52	7627.24 1	1444.76
3. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में 10378.64 करोड़ रुपए के तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोग के लिए प्रस्ताव शामिल हैं जिनकी प्रतिपूर्ति मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा तदुनुरूपी बचतों द्वारा कर ली गई है। मदें निम्न प्रकार हैं:		3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for Rs. 10378.64 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:			
तकन	नीकी पूरक अनुदानों की मांगें	<b>Technical Supplementary Demands for Grants</b>			
परम 5	परमाणु ऊर्जा (क) परमाणु ऊर्जा सचिवालय विभाग के स्थापना व्यय हेतु। (ख) नाभिकीय ईंधन परिसर (109.00 करोड़ रुपए) और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (18.76 करोड़ रुपए) के स्थापना और अन्य संबंधित व्यय हेतु। (ग) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान व्यय संबंधी न्यायालय की डिक्री की वजह से हुए व्यय (0.30 करोड़ रुपए) के लिए (ii)(1) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (14.72 करोड़ रुपए), (2) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (4.64 करोड़ रुपए), (3) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी (2.76 करोड़ रुपए), (4) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (1.56 करोड़ रुपए) (5) क्रय और भंडार निदेशालय (0.70 करोड़ रुपए) (6) सामान्य सेवा संगठन (0.43 करोड़ रुपए), (7) भवन निर्माण, सेवाएं और संपदा प्रबंधन निदेशालय (0.14 करोड़ रुपए) के प्रचालन एवं रखरखाव व्यय के लिए; (iii)(1) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (3.65 करोड़ रुपए) (2) टाटा मेमोरियल सेन्टर (1.80 करोड़ रुपए), (3) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूकलीयर फिजिक्स (1.55 करोड़ रुपए) और (4) इंस्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च (0.25 करोड़ रुपए) को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	5 Atomic Energy (a) For establishment expenditure of Department of Atomic Energy Secretariat. (b) For establishment and other related expenditure of Nuclear Fuel Complex (Rs. 109.00 crore) and Bhabha Atomic Research Centre (Rs.18.76 crore). (c) For (i) expenditure arising out of court decree related to Indira Gandhi Centre for Atomic Research (Rs. 0.30 crore), (ii) additional O&M expenditure of (1) Bhabha Atomic Research Centre (Rs. 14.72 crore), (2) Indira Gandhi Centre for Atomic Research (Rs. 4.64 crore), (3) Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (Rs. 2.76 crore), (4) Atomic Energy Regulatory Board (Rs. 1.56 crore), (5) Directorate of Purchase and Stores (Rs. 0.70 crore), (6) General Services Organisation (Rs. 0.43 crore), (7) Directorate of Construction, Services and Estate Management (Rs. 0.14 crore), (iii) additional grants-in-aid to (1) Tata Institute of Fundamental Research (Rs. 3.65 crore), (2) Tata Memorial Centre (Rs. 1.80 crore), (3) Saha Institute of Nuclear Physics (Rs. 1.55 crore) and (4) Institute of Plasma Research (Rs. 0.25 crore)		1.72 127.76	1.72 127.76
	(घ) (i) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए (30.00 करोड़ रुपए) और (ii) 'विश्वविद्यालयों को सहायता' के तहत	Research (Rs. 0.25 crore).  (d) For additional grants-in-aid to (i) Tata Institute of Fundamental Research for procurement of machinery and equipment (Rs. 30.00 crore) and (ii)		32.50	32.50

				रोड़ रुपए Rupees	
अनु	द्मन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
	यूरेनियम चेयर स्थापित करने और अन्य मंदों के लिए (1.00 करोड़ रुपए) अतिरिक्त सहायता अनुदान हेतु। (ड) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र के संबंध में भूमि मुआवजे संबंधी न्यायालय की डिक्री की वजह से हुए व्यय हेतु।	setting up of Uranium Chair and other items under 'Assistance to Universities.' (Rs. 1.00 crore).  (e) For expenditure arising out of court decree related to land compensation in respect of Raja Ramanna Centre for	31.00		31.00
6	नाभिकीय विद्युत योजनाएँ कुदनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना -1 और 2 के संबंध में भुगतान हेतु।	Advanced Technology.  6 Nuclear Power Schemes  For payment towards fuel for Kudankulam  Nuclear Power Project 1 & 2.	2.00		2.00
		•	110.51	•••	110.51
रस	यन और उर्वरक मंत्रालय उर्वरक विभाग (i) आयतित यूरिया (700.00 करोड़ रुपए), (ii) देशी विनियंत्रित उर्वर्रक (1300.00 करोड़ रूपए) और (iii) आयातित विनियंत्रित उर्वरक (700.00 करोड़ रुपए) पर सब्सिडी के लिए।	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS  8 Department of Fertilisers For subsidy on (i) imported urea (Rs. 700.00 crore), (ii) indigenous decontrolled fertilisers (Rs. 1300.00 crore) and (iii) imported decontrolled fertilisers (Rs. 700.00 crore).		700.00	700.00
वारि	गेज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND			
11	वाणिज्य विभाग आपूर्ति और निपटान महानिदेशक (डीजीएसएंडडी) न्यायालय की डिक्री की वजह से लम्बित दावों के निपटान हेतु।	INDUSTRY  11 Department of Commerce  For settlement of pending claims arising out of court decree in respect of Director General of Supplies and Disposals (DGS&D).		1.40	1.40
उप 18	भोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 18 Department of Food and Public			
	भारतीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत गठित केन्द्रीय सतर्कता समिति पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु।	<b>Distribution</b> For meeting expenditure on the Central Vigilance Committee set up under the orders of Supreme Court of India.		0.37	0.37
रक्ष	मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20	रक्षा मंत्रालय (क) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। (ख) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा सरकार के	<ul> <li>Ministry of Defence         <ul> <li>(a) For providing grants-in-aid to Bharat Earth Movers Limited for setting up a Research and Development Centre.</li> <li>(b) For accountal of bonus shares issued</li> </ul> </li> </ul>	64.00		64.00
27	पक्ष में जारी बोनस शेयरों के हिसाब-किताब के लिए। रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय थल सेना, वायु सेना, आयुध कारखाना और अनुसंधान	in favour of Government by Goa Shipyard Limited.  27 Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure arising		4.96	4.96
पर्या	विकास संगठन में "भूमि", "निर्माण कार्यों" और "भवन निर्माण कार्यों" के तहत न्यायालय डिक्री की वजह से हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	out of court decrees under 'land', 'works' and 'construction works' in Army, Navy, Air Force, Ordnance Factories and Research Development Organisation. MINISTRY OF ENVIRONMENT AND		49.05	49.05
29	पर्यावरण और वन मंत्रालय पंचाट निर्णय की वजह से राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान द्वारा ब्याज के भुगतान हेतु।	FORESTS  29 Ministry of Environment and Forests For payment of interest by the National Institute of Animal Welfare arising out of			
	arear are and as Junit 6/1	Arbitrator's award.	0.21		0.21

					रोड़ रुपए Rupe	
अनुव	दान संर	ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	
वित्त	मंत्राल	नय	MINISTRY OF FINANCE			
35	राज्य	और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	35 Transfers to State and Union Territory			
	٧.		Governments			
		वित्त आयोग के निर्णय के तहत ऋण माफी	Write off of loans to the State Governments			
		ना के अंतर्गत राज्य सरकारों को दिए गए	under Debt Waiver Scheme under the 12th		2056.72	2056.72
	ЖUI	ं को बट्टे खाते में डालना।	Finance Commission Award.	•••	3856.73	3856.73
महि	ला औ	र बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
57	ਸਵਿਨ	ना और बाल विकास मंत्रालय (पूर्व नाम -				
51		ग और बाल विकास विभाग)	Development ( Previously - Department			
		·····,	of Women and Child Development )			
	(ক)	(i) देश में गोद लेने के लिए नवजात शिशुओं	(a) Assistance to the implementing			
		और छोटे बच्चों के लिए घर (2.50 करोड़	agencies under the schemes (i) Homes			
		रूपए) (ii) असहाय बच्चों के स्वास्थ्य की	for Infant and Young Children for			
		देखरेख, पोषण, आश्रय आदि के लिए (12.00	promotion of in-country adoption (Rs.			
		करोड़ रूपए) (iii) देखभाल और संरक्षण	2.50 crore), (ii) for Street Children for			
		की आवश्यकता वाले कामगार बच्चों के	health care, nutrition, shelter, etc. (Rs.			
		कल्याण के लिए (3.00 करोड़ रूपए) (iv)	12.00 crore), (iii) for welfare for			
		किशोरों के जीवन के असंतुलन की रोकथाम और नियंत्रण (0.20 करोड़ रूपए) योजनाओं	working children in need of care and			
		के तहत कार्यान्वयन अभिकरणों को सहायता।	protection (Rs. 3.00 crore), (iv) Prevention and Control of Juvenile			
		क राहरा कावान्यका आगकरणा का राहावसा।	Maladjustments (Rs. 0.20 crore).	17.70		17.70
	(ख)	केन्द्रीय दत्तक संसाधन अभिकरण (कारा)	(b) Assistance to Central Adoption	17.70	•••	17.70
	( 3.)	को सहायता।	Resource Agency (CARA).		1.50	1.50
	(ग)	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में देश में गोद	(c) Assistance for the schemes in the North			
	,	लेने के लिए नवजात शिशुओं और छोटे	Eastern Region and Sikkim for (i)			
		नौजवानों के लिए घर (0.50 करोड़ रूपए),	Homes for Infant and Young children			
		(ii) असहाय बच्चों के स्वास्थ्य की देखरेख,	for promotion of in-country adoption			
		पोषण, आश्रय आदि के लिए (1.00 करोड़	(Rs. 0.50 crore), (ii) street children for			
		रूपए), (iii) किशोरों के जीवन के असंतुलनों	health care, nutrition, shelter, etc (Rs.			
		की रोकथाम और नियंत्रण (2.00 करोड़	1.00 crore) and (iii) Prevention and			
		रूपए)।	Control of Juvenile Maladjustments	2.50		2.50
	( <del></del> )		(Rs. 2.00 crore).	3.50	•••	3.50
	(ਬ)	किशोरों के जीवन के असंतुलनों की रोकथाम और नियंत्रण योजना के लिए राज्य सरकारों	(d) Assistance to State Governments for the			
		को सहायता।	scheme of Prevention and Control of Juvenile Maladjustments.	20.70		20.70
	(ङ)	किशोर असंतुलनों की रोकथाम और नियंत्रण	(e) Assistance to Union Territory Governments	20.70	•••	20.70
	(0)	के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता।	for the scheme of Prevention and			
		,	Control of Juvenile Maladjustments.	2.10		2.10
रवान	न मंत्रात	ਜ਼ਹ	MINISTRY OF MINES			
63		मंत्रालय	63 Ministry of Mines			
		ज अन्वेषण निगम लिमिटेड की पुनर्संरचना	For carrying out accounting adjustment			
		ल्लस्वरूप दिनांक 31.3.05 को ब्याज और	relating to waiver of interest and penal			
		याज की माफी के संबंध में लेखा समायोजन	interest as on 31.3.2005 consequent upon			
	करने	हेतु।	restructuring of Mineral Exploration			
			Corporation Limited.	•••	58.84	58.84
पेट्रो	लियम	और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND			
^			NATURAL GAS			
70		लेयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	70 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
		एल पी जी और पी जी एस केरोसीन के	For providing compensation through issue			
		में वर्ष 2006-07 में अनुमानित अल्प वसूलियों	of Special Securities to the Oil Marketing			
		ाए तेल विपणन कम्पनियों को विशेष प्रतिभूतियों	Companies towards estimated under-			
	क नि	ार्गम के जरिए मुआवजा प्रदान करने के लिए।	recoveries in 2006-07 on account of		5000 00	5000 00
			domestic LPG & PDS Kerosene.		5000.00	5000.00

			ज्रोड़ रुपए Rupe	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भि Non Plat	
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय 81 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग प्रौद्योगिकी भवन एवं विज्ञान सदन, नई दिल्ली में मरम्मत कार्य करने हेतु।	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  81 Department of Science and Technology For carrying out renovation work in Technology Bhavan and Vigyan Sadan, New Delhi.		0.96	0.96
नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  84 नौवहन विभाग  केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के दिनांक 31.1.2007 को बकाया ब्याज को बट्टे खाते डालना।	MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  84 Department of Shipping Write off of the interest outstanding against Central Inland Water Transport Corporation			
	as on 31.1.2007.	•••	213.83	213.83
अंतिरक्ष विभाग 88 अंतिरक्ष विभाग कोट डिक्री के कारण व्यय की पूर्ति करने के लिए।	<ul> <li>DEPARTMENT OF SPACE</li> <li>88 Department of Space For meeting additional expenditure arising out of court decree.</li> </ul>	0.10		0.10
इस्पात मंत्रालय 90 इस्पात विभाग भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. के संबंध में पेनल गारण्टी शुल्क को माफ करने से संबंधित लेखा समायोजन करने के लिए।	MINISTRY OF STEEL  90 Ministry of Steel  For carrying out accounting adjustment relating to waiver of penal guarantee fee in respect of Steel Authority of India Limited.		70.22	70.22
जनजातीय मामले मंत्रालय  93 जनजातीय मामले मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की योजना के कार्यान्वयन पर व्यय की पूर्ति हेतु, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS  93 Ministry of Tribal Affairs  For providing additional grants-in-aid to the  Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited to meet expenditure on implementation of the Scheme for the Welfare of the Scheduled Tribes.	0.98		0.98
कुल तकनीकी	Total Technical	258.80	10119.84	10378.64
4. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में एक-एक लाख रूपए का पूरक अनुदान लिए जाने का प्रस्ताव है जिनके सामने दर्शाए गए व्यय की पूर्ति संबंधित अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग, जैसा भी मामला होगा, के अन्तर्गत बचतों के पुनर्विनियोग द्वारा की जाएगी।	4. Supplementary Grants of Rs.1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
अनुदानों की सांकेतिक पूरक मांगें	<b>Token Supplementary Demands for Grants</b>			
कृषि मंत्रालय  1 कृषि एवं सहकारिता विभाग  (क) (i) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (25.00 करोड़ रूपए) को, (ii) उत्तम बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण की योजना (9.35 करोड़ रूपए) के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	MINISTRY OF AGRICULTURE  1 Department of Agriculture and Cooperation (a) For providing additional grants-in-aid (i) to National Horticulture Board (Rs 25.00 crore) (ii) under the scheme 'Development and Strengthening of Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Quality Seeds' (Rs. 9.35 crore). (b) For providing additional grants-in-aid	34.35		34.35
अनुपान प्रदान परिन हतु।  (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में समेकित बागवानी विकास  संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की योजना के  तहत कार्यान्वयन एजेंसियों को अतिरिक्त  सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	to implementing agencies under the scheme 'Technology Mission on			

			( <del>क</del>	in Crore)	
अनु	द्मान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
<u>পন্ন</u> 2	कृषि अनुंधान एवं शिक्षा विभाग  (क) 11 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) को उनके स्थापना व्यय (2.71 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु, (ख) 39 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएसयू) के विस्तार निदेशालयों और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों (प्रसएसयू) के विस्तार निदेशालयों और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) इम्फाल की जानकारी प्रदान करने, प्रौद्योगिकीय किमयों की भरपाई, मानव संसाधन विकास और केवेके के कार्य के निरीक्षण पर व्यय हेतु (3.10 करोड़ रुपए), (ग) 39 एसएयू और सीएयू को उनके मुख्य परिसर में किसान छात्रावास के निर्माण पर व्यय (20.00 करोड़ रुपए) हेतु और (घ) उन कृषि विज्ञान केन्द्रों को जहां सिंचाई के तहत क्षेत्र 30 प्रतिशत से कम है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली वाला वर्षा जल सचयन तंत्र प्रदान करने के लिए (10.00 करोड़ रुपए) सहायता	2 Department of Agricultural Research and Education For grants-in-aid (a) to 11 New Krishi Vigyan Kendras (KVKs) to meet their establishment expenditure (Rs. 2.71 crore), (b) for providing support to the Directorates of Extension of 39 State Agricultural Universities (SAUs) and the Central Agricultural University, Imphal (CAU) for incurring expenditure on knowledge empowerment, technological back stopping, HRD and overseeing the functioning of KVKs (Rs. 3.10 crore), (c) to 39 SAUs and the CAU to enable them to incur expenditure for construction of farmers' hostel at their main campus (Rs. 20.00 crore), and (d) for	Plan	Non Plan	Total
3	पशु पालन, डेरी उद्योग और मात्स्यकी विभाग  कुक्कुट पालन उद्योग को कुक्कुट चारे के तौर पर प्रयोग हेतु सस्ती दरो पर मक्के/खाद्यान्नों की निर्मृक्ति पर भारतीय खाद्य निगम को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	providing rainwater harvesting structure with micro-irrigation system to those KVKs where the percentage of area under irrigation is less than 30 (Rs. 10.00 crore).  3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries  For providing grants-in-aid to Food Corporation of India on release of subsidised maize/food grain to poultry industry for use as poultry feed.	35.81 40.00		35.81 40.00
परग 6	नाणु कर्जा विभाग नाभिकीय विद्युत योजनाएं कुदनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना 1 और 2 के लिए विदेशी ऋण सहायता को ईंधन लागत के लिए हस्तान्तरित करना।	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  6 Nuclear Power Schemes For pass-through of external loan assistance towards fuel cost for Kudankulam Nuclear Power Project 1 & 2.	396.12		396.12
वारि 11	(क) मसाला बोर्ड को 20000 मी. टन काली मिर्च के निर्यात हेतु सब्सिडी (9.44 करोड़ रुपए) और (ख) समेकित काजू गुणवत्ता योजना के तहत काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) को निर्यात सब्सिडी (0.90 करोड़ रुपए) के भुगतान के लिए।	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY  11 Department of Commerce  For payment of (a) subsidy to Spices Board on export of 20000 MT of pepper (Rs. 9.44 crore) and (b) export subsidy to Cashew Export Promotion Council (CEPC) under Integrated Scheme for Cashew Quality (Rs.0.90 crore).	10.34		10.34
12	(क) (i) 'नमक मजदूर आवास योजना' के तहत 5000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए (5.00 करोड़ रुपए), (ii) राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान को कम्प्युटर सिस्टमों, अन्य कक्षा उपकरणों की खरीद और निर्माण कार्य पूरा करने हेतु (2.50 करोड़ रुपए) और (iii) भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंघान संघ (0.78 करोड़ रुपए) को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	Promotion  (a) For providing additional grants-in-aid (i) towards completion of construction work of 5000 dwelling units under 'Namak Majdoor Awas Yojana' (Rs. 5.00 crore), (ii) to National Institute of Design for procurement of computer systems, other class room equipment and completion of construction works (Rs. 2.50 crore), and (iii) to Indian Rubber Manufacturers Research	8.28		8.28
		Association (Rs. 0.78 crore).	8.28	•••	0.28

					(क	रोड़ रुपए Rupee	s in Crore)
					आयोजना	आयोजना-भिन्न	
अनुद	ान संर	<u>ज्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण</u>	Gr	ant No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
	(ख)	कृषि कार्य लाइसेंसधारकों आदि को जो बाढ़/वर्षा से पीड़ित हैं, अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने और गुजरात, महाराष्ट्र तथा तिमलनाडु में मूसलाधार वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नमक निर्माण कार्य को हुए नुकसान के लिए राहत प्रदान करने हेतु। राज्य सरकारों की केन्द्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम के तहत जम्मू और कश्मीर, हिमाचल और उत्तरांचल के लिए विशेष श्रेणी राज्यों के लिए पैकेज के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।		<ul> <li>(b) For providing additional grants-in-aid to Agaria Licencees, etc. affected by flood/rains as well as to provide relief for the damaged Salt Works due to torrential rains and natural calamities occurred in Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu.</li> <li>(c) For providing additional grants-in-aid for Jammu &amp; Kashmir, Himachal and Uttaranchal under Package for Special Category States under Central Capital Investment Subsidy scheme of State Governments.</li> </ul>		8.70	8.70 11.00
संस्ट	कृति मं	त्रालय	MI	NISTRY OF CULTURE			
19	संस्कृ (क) नाटव करोब अनुमे और	वित मंत्रालय विशेषज्ञ समिति द्वारा यथा-अनुमोदित नृत्य, व और थियेटर समष्टियों (एनसेम्बल्स) (४.०० इ रुपए), (ख) विशेषज्ञ समितियों द्वारा यथा- वित सांस्कृतिक संगठनों (४.०० करोड़ रुपए) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (६.०० करोड़) ) को सहायता प्रदान करने के लिए।	19	Ministry of Culture For assistance to (a) Dance, Drama & Theatre Ensembles as approved by Expert Committee (Rs. 4.00 crore), (b) cultural organisations as approved by the Expert Committee (Rs. 4.00 crore) and (c) Indira Gandhi National Centre for Arts (Rs. 6.00 crore).	14.00		14.00
वित्त	मंत्रात	नय	MI	NISTRY OF FINANCE			
31	आर्थि भारती सहार की प्	कि कार्य विभाग ोय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण प्रता का भुगतान करने के संबंध में हुए व्यय पूर्ति के लिए।		Department of Economic Affairs For meeting expenditure in connection with payment of interest equalisation support to Exim Bank of India,		100.00	100.00
33		य संस्थाओं को भुगतान गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के हित के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाडी) के माध्यम से किसानों को अल्पावधि ऋण संबंधी कृषि ऋण सहायता योजना के लिए	33	Payments to Financial Institutions  (a) To meet additional requirement for Universal Health Insurance Scheme for the benefit of Below Poverty Line (BPL) families.  (b) For providing interest subsidy towards Agricultural Credit Support Scheme through National Bank for Agricultural		10.00	10.00
	(ग)	ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए।  गोआनी बैंकों को ब्याज सब्सिडी प्रदान		and Rural Development (NABARD) on short term credit to farmers.		37.50	37.50
	(ঘ)	करने के लिए। (i) इंडियन बैंक (400.00 करोड़ रुपए)		<ul><li>(c) For providing interest subsidy to Goan Banks.</li><li>(d) For restructuring a portion of equity</li></ul>		7.75	7.75
		और (ii) सैंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (800.00 करोड़ रुपए) की इक्विटी शेयर पूंजी के कुछ भाग की पुनर्संरचना के लिए।		share capital of (i) Indian Bank (Rs.400.00 crore) and (ii) Central Bank of India (Rs. 800.00 crore).		1200.00	1200.00
स्वा	ख्य ए	वं परिवार कल्याण मंत्रालय	MI	NISTRY OF HEALTH AND FAMILY			
46	<b>स्वास</b> (क)	थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सीजीएचएस, दिल्ली के कम्प्युटरीकरण के लिए (8.74 करोड़ रुपए), (ii) (1) जैव- चिकित्सा अस्पताल अपशिष्ट निपटान हेतु आधारभूत विकास के लिए (1.00 करोड़	46	WELFARE Department of Health and Family Welfare  (a) For (i) computerisation of CGHS, Delhi (Rs. 8.74 crore), (ii) grants-in-aid (1) for infrastructure development for Bio-			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) आयोजना-भिन्न जोड आयोजना अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Plan Non Plan **Total** रुपए), (2) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान medical Hospital Waste Disposal (Rs. परिषद को उपकरण की खरीद, पूंजी निर्माण 1.00 crore), (2) Indian Council of कार्यों और 'जेनोमिक्स' नामक एक नए Medical Research towards purchase of अनुसंधान कार्यक्रम के लिए (90.97 करोड़ equipment, capital works and रुपए), (3) कस्तुरबा स्वास्थ्य सोसायटी, implementation of 'genomics', a new वर्धा में कैंसर देख-रेख और अन्य वर्तमान research programme (Rs. 90.97 crore), स्विधाओं के उन्नयन के लिए (7.42 करोड़ (3) for upgradation of cancer care and रुपए), (4) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष प्रबंध के other existing facility in Kasturba तहत बेहतर स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली के Health Society, Wardha (Rs. 7.42 लिए गुवाहाटी मेडीकल कॉलेज के उन्नयन crore), (4) for upgrading Guwahati हेत् (20.00 करोड़ रुपए), (5) चिकनगुनिया Medical College for better health care रोग के निवारण और नियंत्रण की विदेशी delivery system under special सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत राज्य dispensation for North Eastern Region मलेरिया नियंत्रण सोसायटियों को (14.28 (Rs. 20.00 crore), (5) to the State करोड़ रुपए), (6) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य Malaria Control Societies under मिशन के अधीन 'राष्ट्रीय वेक्टर बर्न रोग Externally Aided Projects for नियंत्रण कार्यक्रम' की योजना के तहत prevention and control of Chikungunya राज्य मलेरिया नियंत्रण समितियों को (18.20 disease (Rs. 14.28 crore), (6) to the करोड़ रुपए), (7) राज्य क्षय रोग State Malaria Control societies under सोसायटियों को (12.00 करोड़ रुपए) the scheme 'National Vector Borne सहायता अनुदान, (iii) 'निःशुल्क आपूर्ति Disease Control Programme' under the एवं सामाजिक विपणन संगठन' स्कीम के National Rural Health Mission (Rs. तहत अतिरिक्त व्यय (90.00 करोड़ रुपए), 18.20 crore), (7) to State T.B. Societies (iv) लाला रामसरुप टी बी अस्पताल को (Rs. 12.00 crore), (iii) additional सहायता (0.36 करोड़ रुपए) (v) विस्तार expenditure under the scheme 'Free कार्यक्रमों को जिला तथा निम्नतर स्तरों Supply and Social Marketing तक फैलाने के लिए 'प्रचार एवं प्रसार' Organisations' (Rs.90.00 crore) (iv) (29.15 करोड़ रुपए) और व्यवसायिक assistance to Lala Ram Sarup TB सेवाओं (24.05 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त Hospital (Rs. 0.36 crore), (v) meeting व्यय की पूर्ति करने के लिए। additional expenditure on 'Advertisement & Publicity' (Rs. 29.15 crore) and Professional Services (Rs. 24.05 crore) to expand outreach programmes to the District and lower levels. 316.17 316.17 (ख) राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत गरीबी की (b) For meeting additional expenditure in रेखा से नीचे के रोगियों के संबंध में हए respect of below poverty line (BPL) अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए। 2.00 patients under Rashtriya Arogya Nidhi. 2.00 (i) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में (c) For meeting additional expenditure (i) चालू निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (1.00 on ongoing capital works in Safdarjung करोड़ रुपए) और (ii) डा. राम मनोहर Hospital, New Delhi (Rs. 1.00 crore) लोहिया अस्पताल द्वारा उपकरणों की खरीद and (ii) on procurement of equipments (10.00 करोड़ रुपए) पर हुए अतिरिक्त 11.00 11.00 by Dr. R.M.L. Hospital (Rs. 10.00 crore). व्यय को पुरा करने के लिए। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, 47 Department of Ayurveda, Yoga and सिद्धा और होम्योपेथी (आयुष) विभाग Naturopathy, Unani, Siddha and **Homoeopathy (AYUSH)** (i) 'सूचना, शिक्षा और संचार' की योजना (a) For (i) release of additional grants-in-के तहत गैर-सरकारी संगठनों को अतिरिक्त aid to NGOs under the scheme सहायता अनुदान जारी करने (0.25 करोड़ 'Information, Education रुपए) के लिए, (ii) 'राष्ट्रीय औषधीय Communication' (Rs. 0.25 crore), (ii) वनस्पति बोर्ड' की योजना के तहत meeting additional expenditure on परियोजनाओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति projects under the scheme 'National

Medicinal Plants Board' (Rs. 12.00

हेतु (12.00 करोड़ रुपए), (iii) जम्मू में

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) आयोजना आयोजना-भिन्न जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Plan Non Plan **Total** केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्धा अनुसंधान परिषद, crore), (iii) payment to CPWD for के भवनों के निर्माण के लिए केन्द्रीय लोक construction of buildings of Central निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्युडी) को भुगतान Council for Research in Ayurveda and (2.40 करोड़ रुपए), (iv) केन्द्रीय आयुर्वेद Siddha, at Jammu, etc. (Rs. 2.40 crore), एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली (iv) meeting additional expenditure on की परियोजनाओं पर अतिरिक्त व्यय को projects of Central Council for पुरा करना (0.50 करोड़ रुपए), (v) राष्ट्रीय Research in Yoga and Naturopathy, प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की योजना के New Delhi (Rs. 0.50 crore), (v) meeting तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने (0.46 additional expenditure in respect of करोड़ रुपए) और (vi) मोरारजी देसाई National Institute of Naturopathy, Pune राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली से संबंधित (Rs. 0.46 crore), and (vi) meeting अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करने (0.80 additional establishment related करोड़ रुपए) के लिए। expenditure related to Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi (Rs. 0.80 crore). 16.41 16.41 (i) केन्द्रीय संयुक्त भवन परिसर परिषद, (b) For (i) meeting additional establishment नई दिल्ली के संबंध में स्थापना संबंधी related expenditure in respect of Central अतिरिक्त व्यय को पूरा करने (0.03 करोड़ Council Combined Building Complex, रुपए), (ii) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई New Delhi (Rs. 0.03 crore), (ii) दिल्ली की योजना के तहत होम्योपैथी के payment to Controller of Publications अधिदेशित केन्द्र रजिस्टरों के मुद्रण के लिए for printing of mandatory Centre प्रकाशन नियंत्रण को भुगतान (0.67 करोड़ Register of Homoeopathy by Central रुपए), (iii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर Council of Homoeopathy, New Delhi के संबंध में स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय (Rs. 0.67crore), (iii) meeting additional को पूरा करने (0.40 करोड़ रुपए), (iv) establishment related expenditure in केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्धा अनुसंधान परिषद, respect of National Institute of नई दिल्ली के संबंध में स्थापना संबंधी Ayurveda, Jaipur (Rs. 0.40 crore), (iv) अतिरिक्त व्यय, पेंशन मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति meeting additional establishment उपदान (डीसीआरजी) आदि को पूरा करने related expenditure on pension, DCRG, (3.68 करोड़ रुपए), (v) राष्ट्रीय होम्योपैथी etc. in respect of Central Council for संस्थान, कोलकाता के संबंध में विभिन्न Research in Ayurveda and Siddha, New अदालती मामलों के लिए खर्चों और Delhi (Rs. 3.68 crore), (v) payment of इलेक्ट्रिक/सिविल रख-रखाव निर्माण कार्यों legal expenses for various court cases के लिए (0.05 करोड़ रुपए) और (vi) and electrical/civil maintenance works मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई related to National Institute for दिल्ली के स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय Homoeopathy, Kolkata (Rs. 0.05 crore) को पुरा करने (0.10 करोड़ रुपए) के लिए। and (vi) meeting additional establishment related expenditure of Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi (Rs. 0.10 crore). 4.93 4.93 भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND **PUBLIC ENTERPRISES** भारी उद्योग विभाग 48 Department of Heavy Industry पुनर्संचना के परिणामस्वरूप ब्रिज एंड रुफ (a) For providing assistance to Bridge and कंपनी (इंडिया) को इक्विटी के रूप में Roof Company (India) Limited in the सहायता प्रदान करने हेतू। form of equity, consequent upon its restructuring. 15.00 15.00 (ख) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड के सम्बन्ध (b) For carrying out accounting adjustments में सरकारी ऋण को इक्विटी में बदलने से relating to conversion of government सम्बन्धित लेखा समयोजनों के निष्पादन loan into equity in respect of Cement हेत्। Corporation of India Limited. 1.50 1.50

				 आयोजना	रोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तः	था मदों का विवरण	Gra	nt No. & title and description of items	Plan	Non Plan	Total
बीच सीमा विवादों के निप	असम-अरुणाचल प्रदेश के गटान हेतु नवगठित न्यायमूर्ति ग पर होने वाले व्यय की	50 M H J	ISTRY OF HOME AFFAIRS  Ministry of Home Affairs  For meeting the expenditure on newly set up ustice S.N. Varaiava Commission to settle the oundary disputes between the States of Assam-Jagaland and Assam-Arunachal Pradesh.		0.25	0.25
मारीशस से भारत		<b>I</b> H (	Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs  For meeting expenditure on:  a) repatriation of prisoners from Mauritius to India under the Repatriation of Prisoners Act.  b) appointment of consultant to revive Ashok Paper Mill under Assam Accord.		0.05 1.00	0.05
मानव संसाधन विकास मंत्रा	लय		ISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
55 स्कूली शिक्षा और साक्षर शिक्षा और साक्षरता वि	ता विभाग (पूर्वनाम बुनियादी वेभाग)	55 I	Department of School Education and Literacy ( Previously - Department of Clementary Education and Literacy)			
सहायता' योजन संसाधन केन्द्रों व नए राज्य संसाधन करोड़ रुपए), औ	ता के क्षेत्र में एनजीओ को ा के अर्न्तगत मौजूदा राज्य हो तकनीकी सहायता और त केन्द्रों को खोलना (13.10 र नवसृजित 26 जन शिक्षण ाय सहायता उपलब्ध कराना पए)		a) For (i) providing technical support to the existing State Resource Centres and for opening the new State Resource Centres under the scheme of 'Support to NGOs in the Field of Adult Education' (Rs. 13.10 crore), and (ii) providing financial assistance to 26 newly created Jan Shikshan Sansthan (Rs. 2.50 crore).	15.60		15.60
सहायता उपलब	संसाधन केन्द्रों को तकनीकी ध कराने और नए राज्य खोलने के लिए वचनबद्ध तु।	(	b) To meet the committed expenditure on existing 25 State Resource Centres (SRCs), for providing technical support and for opening new SRCs.	0.80	···	0.80
• •	पूर्वनाम - माध्यमिक शिक्षा		Department of Higher Education			
तथा उच्च शिक्षा विभा	·'')		Previously - Department of Secondary Education and Higher Education)			
भुगतान के लिए राष्ट्रीय संस्कृत माध्यमिक शिक्षा संगठनों/संस्थाने हेतु (4.58 क इंस्टिट्टयूट ऑप (भारतीय भाषा स सेवा की स्थापन और (iii) तमिल के तहत विभिन्न हेतु (1.82 करे	उतों' को 'सम्मान राशि' के सम संस्कृत विश्वविद्यालय, त संस्थान और केन्द्रीय बोर्ड को तथा गैर-सरकारी ं को अनुदान प्रदान करने रोड़ रुपए) (ii) सेन्द्रल क इंडियन लैंग्वैजेज़, मैसूर ंस्थान) को राष्ट्रीय परीक्षण ा हेतु (0.83 करोड़ रुपए) भाषा के विकास हेतु योजना कार्यकलापों को पूरा करने ोड़ रुपए) सहायता प्रदान		university, Rashtriya Sanskrit Sansthan and Central Board for Secondary Education for payment of 'Samman Rashi' to 'Sanskrit Pandits' and 'Grants to NGOs/Institutions' (Rs.4.58 crore), (ii) Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) for establishment of National Testing Service (Rs. 0.83 crore) and (iii) for completing various activities under the scheme for Development of			
	ग छात्रवृत्तियां और वजीफा' वर्ष 2003-04 से 2005-06	(	Tamil Language (Rs. 1.82 crore). b) For settling outstanding stipend bills relating to various establishments/	7.23		7.23

				रोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न	
अनुदान सं	नंख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(11)	राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने	industries during 2003-04 to 2005-06 under the scheme 'Apprenticeship Training Scholarships and Stipends'.  (c) For assistance to State Governments for Integrated Education for Disabled	17.70		17.70
	हेतु।	Children.	8.15	•••	8.15
महिला अं	गौर बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
<b>महि</b> 'प्रिय	त्ता और बाल विकास मंत्रालय (पूर्वनाम - देला और बाल विकास विभाग) यदर्शिनी' नाम की एक योजना जो उत्तर प्रदेश ह बिहार में चल रही, एक विदेशी सहायता प्राप्त	57 Ministry of Women and Child Development (Previously - Department of Women and Child Development) Assistance to the scheme entitled 'Priyadarshini', an Externally Aided			
महि	ला अधिकारिता परियोजना है, को सहायता।	Women's Empowerment Project in Uttar Pradesh and Bihar.	2.55		2.55
सूचना अं	गैर प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND			
<b>58 सूच</b> (क)	ाना और प्रसारण मंत्रालय ) 'विकासात्मक प्रचार कार्यक्रमः अवधारणा एवं प्रसारण' योजना के अन्तर्गत सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर इलेक्ट्रनिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले जन-साधारण अभियानों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	BROADCASTING  58 Ministry of Information and Broadcasting  (a) For meeting the additional expenditure towards Public Awareness Campaigns to be organised through electronic and print media on flagship programmes of the Government under the scheme 'Developmental Publicity Programme: Conception and Dissemination'.	20.56		20.56
(ख)	) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम और सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर प्रेस सूचना कार्यालय द्वारा जन-सूचना अभियान के निष्पादन हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure for carrying out Public Information Campaign by Press Information Bureau on National Common Minimum Programme and flagship programmes of the Government.		10.00	10.00
	र न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
<b>61 विधि</b> (क) (ख)	करने' संबंधी विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के निष्पादन हेतु।	<ul> <li>61 Law and Justice</li> <li>(a) For implementing an externally aided project 'Strengthening of Access to Justice'.</li> <li>(b) For providing one-time grants-in-aid to Indian Law Institute for its Golden</li> </ul>	3.50		3.50
	अनुदान उपलब्ध कराने के लिए।	Jubilee celebrations.		0.60	0.60
खान मंत्रा	ालय	MINISTRY OF MINES			
<b>63 खान</b> (क)	न मंत्रालय अनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड के पुनर्सरचना के पिरणामस्वरूप दि. 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार सरकारी ऋण को इक्विटी में बदलने से सम्बद्ध लेखा समायोजन हेतु।	63 Ministry of Mines  (a) For carrying out accounting adjustment relating to conversion of government loan as on 31.3.2005 into equity in respect of Mineral Exploration Corporation	45.00		45.00
(ख)	) राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान के संबंध में अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए।	Limited consequent upon its restructuring.  (b) For meeting additional requirements in respect of National Institute of Miners' Health.	45.80	0.26	0.26

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore आयोजना आयोजना-भिन्न जोड़			
अनुद	न संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयाजना Plan	आयाजना-ाभन्न Non Plan	जाड़ Total	
नवीन	ा और पुनः नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (पूर्वनाम - गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय)	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLI ENERGY (PREVIOUSLY - MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES)	7			
64	नवीन और पुनः नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (पूर्वनाम- गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय)	64 Ministry of New and Renewable Energ (Previously - Ministry of Non-Conventiona Energy Sources)				
	(क) 'राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम' के अन्तर्गत बायोगैस संयंत्रों की वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए (10.05 करोड़ रुपए) की पूर्ति के लिए। (ख) निम्नलिखित के अन्तर्गत पिछले वर्षों के लेखों का निपटान (i) सौर फोटोवॉल्टीय प्रदर्शन	To meet (a) commitments of Biogas plant under 'National Programme for Bioga Development' (Rs. 10.05 crore), (b) settlement of accounts of the previous years under (i) Solar Photovoltaic demonstration and	s t r			
	और प्रौद्योगिकी (19.00 करोड़ रुपए) और (ii) सौर-फोटोवॉल्टीय पम्प कार्यक्रम (1.00 करोड़ रुपए), (ग) 'ऊर्जा से औद्योगिक अपशिष्ट'-सब्सिडियों (2.50 करोड़ रुपए) की योजना के अन्तर्गत 15 मेगावाट से 20 मेगावाट क्षमता के	technology (Rs. 19.00 crore) and (ii) Sola Photovoltaic Pump Programme (Rs. 1.00 crore) (c) additional expenditure arising out of enhancement of physical targets from 15 MV to 20 MW capacity under the scheme 'Energy	r , f /			
	भौतिक लक्ष्यों की बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त व्यय, और (घ) लघु पन बिजली परियोजना संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू योजनाओं के संबंध में बचनबद्धता (10.50 करोड़ रुपए)	from Industrial Waste' - subsidies (Rs. 2.5) crore) and (d) commitments in respect of on-going schemes under Small Hydro Project Promotion programme (Rs. 10.50 crore).	f		43.05	
	प्रती राज मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय (i) पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण हेतु विदेशी सहायता हस्तान्तरित करना (5.00 करोड़ रुपए) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अन्तर्गत राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार को अंशदान (0.05 करोड़ रुपए)।	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ  67 Ministry of Panchayati Raj  For (a) pass-through of external assistanc for Training and Capacity Building o elected representatives and functionaries of Panchayati Raj Institutions (Rs. 5.00 crore and (b) contribution to Commonwealth Local Government Forum under International Co-operation (Rs. 0.05 crore).	f f ) n		5.05	
_	त मंत्रालय विद्युत मंत्रालय ऊर्जा के कारगर उपयोग तथा इसके संरक्षण हेतु सूचना के प्रसारण हेतु राष्ट्रीय अभियान	MINISTRY OF POWER  72 Ministry of Power  For National Campaign to disseminat information for efficient use of energy and its conservation.			3.00	
ग्रामी 78	ण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय (क) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 78 Department of Rural Development		,	318.00	
	(ख) राज्य ग्रामीण विकास संस्थान तथा अन्य अभिकरणों को सहायता	<ul><li>(a) For Sampoorna Gramin Rozgar Yojana</li><li>(b) For assistance to State Institutes of Rural Development and other agencies</li></ul>	f		6.97	
विज्ञा	न तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE ANI TECHNOLOGY	)			
81	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (क) श्री चित्र तिरूनल चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूवनन्तपुरम् (10.00 करोड़ रुपए), (ख) चूर्णधातुकर्भ और नवीन सामग्री उन्नत अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद (7.00 करोड़ रुपए) और (ग) राज्य वेद्यशाला, नैनीताल (4.00 करोड़ रुपए) को अतिरिक्त सहायता अनुदान उपलब्ध	81 Department of Science and Technology For providing additional grants-in-aid to (a Sree Chitra Tirunal Institute for Medica Sciences and Technology, Thiruvananthapuran (Rs. 10.00 crore), (b) Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad (Rs.7.00 crore) and (c	I n n v			
	कराने हेतु।	State Observatory, Nainital (Rs. 4.00 crore)	. 21.00		21.00	

		(क	रोड़ रुपए Rupees	in Crore,
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नौवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय 84 नौवहन विभाग	MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 84 Department of Shipping			
<ul> <li>(क) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के संबंध में दि. 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण को इक्विटी पूंजी में परिवर्तित करना।</li> <li>(ख) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को उसके कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी के भुगतान हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदान</li> </ul>	of Central Inland Water Transport Corporation . (b) Providing additional grants-in-aid to Central Inland Water Transport		120.48	120.48
उपलब्ध कराना। 85 सड़क परिवहन तथा राजमार्ग विभाग	wages to its employees.  85 Department of Road Transport and Highways		5.40	5.40
राष्ट्रीय राजमार्ग इन्जीनियर्स प्रशिक्षण संस्थान को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु जिसकी व्यवस्था संस्थान के पट्टे पर धारित भूमि के संबंध में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पट्टे पर एकबारगी भुगतान पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु की गयी है।	For providing grants-in-aid to National Institute of Training of Highway Engineers for meeting expenditure on one time payment of lease rent to the New Okhla		2.97	2.97
लघु उद्योग मंत्रालय  86 लघु उद्योग मंत्रालय  (क) ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना (18.50 करोड़ रुपए) के अन्तर्गत और (ख) बड़े और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु पैकेज (5.90 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु।	Scheme (Rs. 18.50 crore) and (b) for	24.40		24.40
गृह मंत्रालय, संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	MINISTRY OF HOME AFFAIRS, UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
94 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुनामी से पीड़ित लघु व्यापारियों और कारोबारियों के संबंध में बैंक ऋणों पर मूलधन और ब्याज को बट्टे खाते डालना/माफ करना।	94 Andaman and Nicobar Islands For write-off/waiver of principal and interest		53.03	53.03
शहरी विकास मंत्रालय 99 शहरी विकास विभाग विकेन्द्रीयकृत शहरी गवर्नेस हेतु क्षमता निर्माण संबंधी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विदेशी सहायता का हस्तान्तरण।		4.00		4.00
100 लोक निर्माण कार्य विज्ञान भवन, नई दिल्ली के मुख्य हॉल तथा हॉल सं.6 में साउंड सिस्टम के प्रतिस्थापन तथा आधुनिकीकरण पर होने वाला व्यय		4.00		4.00
जल संसाधन मंत्रालय 103 जल संसाधन मंत्रालय क्षमता निर्माण हेतु डीएफआईडी अनुदान योजना के तहत विदेशी सहायता के उपयोग को सुगम	_			
बनाने हेतु।	Capacity Building.	0.08		0.08

	(करोड़ रुपए Rupees in Cro			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन् Non Plan	
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
104 युवा मामले और खेल मंत्रालय पूणे में राष्ट्रमंडल युवा खेलों, 2008 के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार को सहायता अनुदान हेतु।	104 Ministry of Youth Affairs and Sports  For grants-in-aid to the State Government of Maharashtra in connection with Commonwealth Youth Games, 2008 at Pune.	15.00		15.00
कुल सांकेतिक	Total Token	0.34	0.18	0.52
आकस्मिकता निधि से 152.35 करोड़ रुपए के कुल चार अग्रिम स्वीकृत किए गए। इनकी प्रतिपूर्ति अनुदानों	5. Four advances aggregating Rs.152.35 crore were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. These will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are sanctioned.			
कुल योग	GRAND TOTAL	4076.66	17747.26 2	21823.92
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	3817.52	7627.24 1	1444.76
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	258.80	10119.84 1	0378.64
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.34	0.18	0.52

## विषय सूची CONTENTS

				(	करोड़ रुपए	Rupees in	crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़	पृष्ट
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE					
1. कृषि और सहकारिता विभाग	-0-	1. Department of Agriculture and	**	0.00			
0	स्वीकृत	Cooperation	Voted	0.02	•••	0.02	1
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत	Department of Agricultural     Research and Education	Voted	0.01		0.01	2
3. पशुपालन, डेरी कार्य और	रपाप्ट्ररा	3. Department of Animal Husbandry,	voicu	0.01	•••	0.01	2
मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	Dairying and Fisheries	Voted	0.01		0.01	3
परमाणु ऊर्जा विभाग	0	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
5. परमाणु ऊर्जा	भारित	5. Atomic Energy	Charged	0.30	2.00	2.30	4-5
6. नाभिकीय विद्युत योजनाएं	स्वीकृत स्वीकृत	6. Nuclear Power Schemes	Voted Voted	192.68 116.51	0.01	192.68 116.52	6
b. भामपगय विद्युत योजनार	स्पापरूरा	o. Nuclear Fower Schemes	voieu	110.31	0.01	110.32	U
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS					
8. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	8. Department of Fertilisers	Voted	4400.00		4400.00	7
		sp					
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL					
10. कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	10. Ministry of Coal	Voted	131.71		131.71	8
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
11. वाणिज्य विभाग	भारित	11. Department of Commerce	Charged	1.40		1.40	9
TI. GIISIOG IGAIN	स्वीकृत	11. Department of Commerce	Voted	0.01		0.01	
12. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभ	-	12. Department of Industrial Policy					
		and Promotion	Voted	0.03		0.03	10
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOG	·V				
13. डाक विभाग	भारित	13. Department of Posts	Charged	0.03	0.01	0.04	11
14. दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	14. Department of Telecommunications	Voted	0.03	25.00	25.00	12
उपभोक्ता मामले, खाद्य और	C	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,					
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
18. खाद्य और सार्वजनिक वितरण		18. Department of Food and Public					
विभाग	भारित	Distribution	Charged	0.37		0.37	13
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
19. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Culture	Voted	0.01		0.01	14
2	c						
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
20. रक्षा मंत्रालय	स्वीकृत	20. Ministry of Defence	Voted	64.00	4.96	68.96	15
27. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित	27. Capital Outlay on Defence Services	Charged	•••	49.05	49.05	16
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF					
28. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		NORTH EASTERN REGION 28. Ministry of Development of					
20. (310) 417 14470 171014	स्वीकृत	North Eastern Region	Voted		2.00	2.00	17
पर्यावरण और वन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT					
		AND FORESTS	ar :				
29. पर्यावरण और वन मंत्रालय	भारित	29. Ministry of Environment and Forests	Charged	0.21	•••	0.21	18

						•	ज्लोड़ रुपए <del>÷ ०</del>	-	
मांग	संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ट Page
 विदे	रा मंत्रालय		MI	NISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
	विदेश मंत्रालय	स्वीकृत		Ministry of External Affairs	Voted	141.16		141.16	19-20
वित्त	मंत्रालय			NISTRY OF FINANCE					
31.	आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत		Department of Economic Affairs	Voted	0.01	•••	0.01	21
33.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	स्वीकृत		Payments to Financial Institutions	Voted	2359.16	0.01	2359.17	22-23
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों		35.	Transfers to State and Union					
	को अन्तरण	भारित		Territory Governments	Charged	195.61		195.61	24
		स्वीकृत	20	D CF	Voted	7793.03	•••	7793.03	2.5
	व्यय विभाग	स्वीकृत		Department of Expenditure	Voted	3.72	•••	3.72	25
41.	राजस्व विभाग	स्वीकृत	41.	Department of Revenue	Voted	100.00		100.00	26
स्वार	थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MI	NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभा	ग	46	Department of Health and Family					
40.	(4)(-4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4	स्वीकृत	10.	Welfare	Voted	0.02	0.01	0.03	27-28
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक		47.	Department of Ayurveda, Yoga and	, , ,	0.02	0.01	0.02	-, -0
	चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा		.,.	Naturopathy, Unani, Siddha and					
	होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत		Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.02		0.02	29-30
	. 5,	c		,					
	उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		MI	NISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
48.	भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	48.	Department of Heavy Industry	Voted	•••	0.02	0.02	31
गर	मंत्रालय		MI	NISTRY OF HOME AFFAIRS					
-	गृह मंत्रालय			Ministry of Home Affairs	Voted	0.01		0.01	32
	पुलिस	स्वीकृत		Police	Voted	547.52		547.52	33
	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय			Other Expenditure of the	votea	317.32	•••	517.52	33
	<b>c</b>	स्वीकृत		Ministry of Home Affairs	Voted	0.02		0.02	34
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			NOTEN OF WILLIAM PERCURATE					
मान	व संसाधन विकास मंत्रालय		MH	NISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
55	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग		55	Department of School Education and					
55.	(पूर्वनाम-बुनियादी शिक्षा और		33.	Literacy (Previously - Department of					
	साक्षरता विभाग)			Elementary Education and Literacy)	Voted	0.02		0.02	35
56.	0 0 ′ ′ ′		56	Department of Higher Education	voted	0.02	•••	0.02	33
50.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च		50.	(Previously - Department of Secondary					
	शिक्षा)	स्वीकृत		Education and Higher Education)	Voted	0.03		0.03	36
	(KIGII)	الطاطيرا		Education and Higher Education)	voicu	0.03	•••	0.03	30
महि	ना और बाल विकास मंत्रालय		MI	NISTRY OF WOMEN AND					
	o 1 o .			CHILD DEVELOPMENT					
57.	महिला और बाल विकास मंत्रालय		57.	Ministry of Women and Child					
	(पूर्वनाम-महिला तथा बाल विकास	0		Development (Previously - Department					
	विभाग)	स्वीकृत		of Women and Child Development)	Voted	45.51	•••	45.51	37-38
सूच	ग तथा प्रसारण मंत्रालय		MI	NISTRY OF INFORMATION					
58	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		58	AND BROADCASTING Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.02		0.02	39
50.	त्वमा तवा प्रतारम गंत्रालय		50.	Willistry of information and broadcasting	, voicu	0.02	•••	0.02	37
विधि	और न्याय मंत्रालय		MI	NISTRY OF LAW AND JUSTICE					
61.	विधि और न्याय	स्वीकृत	61.	Law and Justice	Voted	0.02		0.02	40
खान	मंत्रालय		MI	NISTRY OF MINES					
63.	खान मंत्रालय		63.	Ministry of Mines	Voted	58.85	0.01	58.86	41
नतीः	न और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MI	NISTRY OF NEW AND					
11411	ा जार गयायारणाय जाणा नत्रालय		14111	RENEWABLE ENERGY					
64	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रा	लय	64	Ministry of New and Renewable Energy					
J	(पूर्वनाम-गैर-पारम्परिक ऊर्जा	•	U 1.	(Previously - Ministry of Non-					
	स्रोत मंत्रालय)	स्वीकृत		Conventional Energy Sources)	Voted	0.01		0.01	42
	7	, c				0.01	•••	0.01	

				(ব	रोड़ रुपए		
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Damand		राजस्व	पूंजी Сक्लांकी		पृष्ट Dana
		No. and Title of Demand		Revenue	Capital	Total	Page
पंचायती राज मंत्रालय 67. पंचायती राज मंत्रालय		MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ	Voted	0.01		0.01	43
07. प्रवावता राज मंत्रालय		67. Ministry of Panchayati Raj	voted	0.01	•••	0.01	43
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ſ	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS					
70. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	70. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	5000.00		5000.00	44
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER		0.04		0.01	
72. विद्युत मंत्रालय		72. Ministry of Power	Voted	0.01	•••	0.01	45
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT	Γ				
78. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	78. Department of Rural Development	Voted	250.02	•••	250.02	46
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	,				
81. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		81. Department of Science and Technology	Voted	0.01	0.96	0.97	47
नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS					
84. नौवहन विभाग	स्वीकृत	84. Department of Shipping	Voted	213.84	0.01	213.85	48
85. सड़क परिवहन और राजमार्ग		85. Department of Road Transport and					
विभाग	स्वीकृत	Highways	Voted	0.01	•••	0.01	49
लघु उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES	8				
86. लघु उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	86. Ministry of Small Scale Industries	Voted	0.01		0.01	50
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
88. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	88. Department of Space	Charged		0.10	0.10	51
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन म	ांत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND					
89. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वर		PROGRAMME IMPLEMENTATION	N				
४९. साख्यका आर कायक्रम कायान्वर मंत्रालय	<sup>1न</sup> स्वीकृत	89. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.67		0.67	52
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL					
90. इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत	90. Ministry of Steel	Voted	70.22	51.90	122.12	53
जनजाति कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
93. जनजाति कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	93. Ministry of Tribal Affairs	Voted	0.98		0.98	54
गृह मंत्रालय, संघ राज्य क्षेत्र		MINISTRY OF HOME AFFAIRS, UNION TERRITORIES (WITHOUT					
(विधान-मंडल रहित)		LEGISLATURE)					
94. अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	स्वीकृत	94. Andaman and Nicobar Islands	Voted	0.01		0.01	55
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	Г				
99. शहरी विकास विभाग	स्वीकृत	99. Department of Urban Development	Voted	0.01		0.01	56
100. लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	100. Public Works	Voted		0.01	0.01	57
जल संसाधन मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES					
103. जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	103. Ministry of Water Resources	Voted	0.01		0.01	58
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS	3				
104. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	104. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.01		0.01	59
कुल जोड़		GRAND TOTAL		21687.86	136 NA	21823.92	
3.00 000	भारित	GRAID TOTAL	Charged	197.92	51.16	249.08	
	स्वीकृत		Voted	21489.94	84.90	21574.84	
अनुबंध		ANNEXURE					60

### कृषि और सहकारिता विभाग DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1-2 देखिए)। (See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 1-2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:		178.88	178.88
	स्वीकृत	Voted:	4969.43	70.85	5040.28
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	0.01	0.01	0.02
	स्वीकृत	Voted:	0.01	0.01	0.02
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	4969.47	249.75	5219.22
	भारित	Charged:	0.01	178.89	178.90
	स्वीकृत	Voted:	4969.46	70.86	5040.32

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2401-कृषि कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted:	0.01 (कa)	•••	0.01
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01 (खb)	•••	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	•••	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगा गया है:

- (क) (i) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को अतिरिक्त सहायता-अनुदान (25 करोड़ रुपए)प्रदान करने हेतु; और (ii) 'गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु ढाँचागत सुविधाओं का विकास एवं सशक्तिकरण' स्कीम के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (9.35 करोड़ रुपए);
- (ख) 'पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के एकीकृत विकास सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिश्रन' स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (15 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पुरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grant is sought for the following purposes:-

- (a) (i) For providing additional grants-in-aid to National Horticulture Board (Rs.25 crore); and (ii) For providing additional grants-in-aid under the scheme 'Development and Strengthening of Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Quality Seeds' (Rs.9.35 crore);
- (b) For providing additional grants-in-aid to implementing agencies under the scheme 'Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in North-East States' (Rs.15 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

### कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF AGRICULATURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2006-2007 की पहली पूरक अनुदान की मांगों का पृष्ठ 3 देखिए)। (See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

					(कराड़ रुपए Rupees in Crore	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	2160.00		2160.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRAN	<b>VT</b> :			
	स्वीकृत		Voted:	50.00		50.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supple	ementary)			
	स्वीकृत		Voted:	2210.01	•••	2210.01

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2415-कृषि अनुसंधान तथा		2415-Agricultural Research				
शिक्षा	स्वीकृत	and Education	Voted:	0.01		0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

- (i) 11 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों को उनके स्थापना सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान जारी करना (2.71 करोड़ रुपए);
- (ii) ज्ञान सशक्तिकरण, टेक्नोलॉजिकल बैक स्टॉपिंग, मानव संसाधन तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों की कार्यप्रणाली के निरीक्षण पर होने वाले व्यय के लिए 39 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के विस्तार निदेशालयों तथा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता प्रदान करने हेतु सहायता अनुदान जारी करना (3.10 करोड़ रुपए);
- (iii) 39 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल को सहायता-अनुदान जारी करना तािक वे मुख्य परिसर के किसान छात्रावास के निर्माण हेतु व्यय करने में समर्थ हों (20.00 करोड़ रुपए); और
- (iv) उन कृषि विज्ञान केन्द्रों को जहां सिंचाई क्षेत्र प्रतिशत 30 से कम है, सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था सिहत वर्षाजल के संचयन की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु सहायता अनुदान जारी करना (10.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। This supplementary grant is sought for the following purposes:

- (i) For release of grants-in-aid to 11 New Krishi Vigyan Kendras (KVKs) to meet their establishment expenditure (Rs.2.71 crore);
- (ii) For release of grants-in-aid for providing support to the Directorates of Extension of 39 State Agricultural Universities (SAUs) and the Central Agricultural University, Imphal for incurring expenditure on knowledge empowerment, technological back stopping, HRD and overseeing the functioning of Krishi Vigyan Kendras (Rs.3.10 crore);
- (iii) For release of grants-in-aid to 39 State Agricultural Universities and the Central Agricultural University, Imphal to enable them to incur expenditure for construction of farmers' Hostel at their main campus (Rs.20.00 crore); and
- (iv) For release of grants-in-aid for providing rainwater harvesting structure with micro-irrigation system to those KVKs where the percentage of area under irrigation is less than 30 (Rs.10.00 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### पशुपालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिए)। (See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड राजस्व पूंजी Revenue Capital **Total** I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत Voted: 1030.72 15.14 1045.86 **SUPPLEMENTARY GRANT:** पूरक अनुदान : 110.00 110.00 स्वीकृत Voted: Supplementary Estimate of इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत 0.01 0.01 Voted: जोड़ (मूल और पूरक) **Total (Original plus Supplementary)** 

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

Voted:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

1140.73

15.14

1155.87

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2403-पशुपालन	स्वीकृत	2403-Animal Husbandry	Voted:	0.01	•••	0.01

यह पूरक अनुदान कुक्कुट पालन उद्योग को कुक्कुट आहार के रूप में उपयोग के लिए सब्सिडी प्राप्त मक्का/खाद्यान्न जारी करने के संबंध में भारतीय खाद्य निगम को सहायता-अनुदान (40.00 करोड़ रुपए) के तौर पर भुगतान हेतु मांगा गया है। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

स्वीकृत

The supplementary grant is sought for payment of grants-inaid (Rs. 40.00 crore) to Food Corporation of India on release of subsidized maize/foodgrain to poultry industry for use as poultry feed. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### परमाणु ऊर्जा ATOMIC ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 और केन्द्र सरकार के वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5-6 देखिए)।

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and pages 5-6 of the First Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2006-07).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Capital **Total** Revenue I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: भारित 6.50 8.10 Charged: 1.60 स्वीकृत 3919.11 Voted: 2080.63 1838.48 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदानः भारित 3.00 3.00 Charged: स्वीकृत Voted: 9.68 9.68 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: भारित 2.30 Charged: 0.30 2.00 स्वीकृत Voted: 192.68 192.68 जोड़ (मूल और पूरक) 2284.89 1849.98 4134.87 **Total (Original plus Supplementary)** भारित Charged: 1.90 11.50 13.40 स्वीकृत Voted: 2282.99 1838.48 4121.47

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION	•			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3451- सचिवालय-आर्थिक		3451-Secretariat-Econo	omic			
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	•••	1.72 (কa)	1.72
2852- उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	•••	127.76 (खb)	127.76
3401- परमाणु ऊर्जा		3401-Atomic Energy				
अनुसंधान	भारित	Research	Charged:		0.30 (गc)	0.30
	स्वीकृत		Voted:	31.00 (ਬd)	32.20 (ङe)	63.20
जोड़ - राजस्व भाग		<b>Total Revenue Section</b>	1	31.00	161.98	192.98
	भारित		Charged:	***	0.30	0.30
	स्वीकृत		Voted:	31.00	161.68	192.68
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
 मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5401- परमाणु ऊर्जा		5401-Capital Outlay or	1			
अनुसंघान पर पूंजी		Atomic Energy				
परिव्यय	भारित	Research	Charged:	2.00 (चf)		2.00
जोड़ - पूंजी भाग		<b>Total Capital Section</b>		2.00	•••	2.00
-	भारित		Charged:	2.00		2.00
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary	7)	33.00	161.98	194.98
<del></del>	भारित		Charged:	2.00	0.30	2.30
	स्वीकृत		Voted:	31.00	161.68	192.68

इस पूरक अनुदान/विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए हैं:

- (क) परमाण् ऊर्जा सचिवालय विभाग का स्थापना सम्बन्धी व्यय।
- (ख) आपूर्ति और सामग्री, लघु निर्माण कार्यों, वेतन, घरेलू यात्रा व्यय, विज्ञापन और प्रचार पर व्यय, नाभिकीय ईंधन परिसर (109.00 करोड़ रुपए) और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (18.76 करोड़ रुपए) के लिए अन्य प्रभार।
- (ग) इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र से सम्बन्धित कोर्ट डिक्री के कारण हुआ व्यय।
- (घ) (i) मशीनरी तथा उपस्कर की अधिप्राप्ति हेतु टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान को (30.00 करोड़ रुपए), और (ii) 'विश्वविद्यालयों को सहायता' के अन्तर्गत यूरेनियम चेयर तथा अन्य मदों की स्थापना (1.00 करोड़ रुपए) हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदान।
- (डं) (i) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (14.72 करोड़ रुपए), (ii) इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (4.64 करोड़ रुपए), (iii) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र (2.76 करोड़ रुपए), (iv) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (1.56 करोड़ रुपए), (v) क्रय एवं भण्डार निदेशालय (0.70 करोड़ रुपए), (vi) सामान्य सेवा संगठन (0.43 करोड़ रुपए), (vii) निर्माण, सेवा तथा सम्पदा प्रबन्धन निदेशालय (0.14 करोड़ रुपए) का अतिरिक्त प्रचालन तथा रख-रखाव व्यय और (viii) निम्नलिखित को अतिरिक्त सहायता अनुदान (1) टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान (3.65 करोड़ रुपए), (2) टाटा मैमोरियल सैंटर (1.80 करोड़ रुपए), (3) शाह नाभिकीय भौतिक संस्थान (1.55 करोड़ रुपए) और (4) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (0.25 करोड़ रुपए)।
- (च) राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र से सम्बन्धित भू-क्षतिपूर्ति से सम्बद्ध कोर्ट डिक्री के कारण होने वाला व्यय।

चूंकि समतुल्य राशि या तो पूंजी/स्वीकृत भाग से अभ्यर्पित की जाएगी अथवा अनुदान की वर्धित वसूलियों/प्राप्तियों से की जाएगी, इसलिए उक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant/appropriation is sought for:

- (a) Establishment expenditure of Department of Atomic Energy Secretariat.
- (b) Expenditure on supplies and materials, minor works, salaries, domestic travel expenses, advertisement and publicity, other charges for Nuclear Fuel Complex (Rs.109.00 crore) and Bhabha Atomic Research Centre (Rs.18.76 crore).
- (c) Expenditure arising out of court decrees related to Indira Gandhi Centre for Atomic Research.
- (d) Additional grants-in-aid (i) to Tata Institute of Fundamental Research for procurement of machinery and equipment (Rs.30.00 crore) and (ii) for setting up of Uranium Chair and other items under 'Assistance to Universities' (Rs.1.00 crore).
- (e) Additional Operation and Maintenance expenditure of (i) Bhabha Atomic Research Centre (Rs.14.72 crore), (ii) Indira Gandhi Centre for Atomic Research (Rs.4.64 crore), (iii) Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (Rs.2.76 crore), (iv) Atomic Energy Regulatory Board (Rs.1.56 crore), (v) Directorate of Purchase and Stores (Rs.0.70 crore), (vi) General Services Organisation (Rs.0.43 crore), (vii) Directorate of Construction, Services and Estate Management (Rs.0.14 crore), and (viii) additional grants-in-aid to (1) Tata Institute of Fundamental Research (Rs.3.65 crore), (2) Tata Memorial Centre (Rs.1.80 crore), (3) Saha Institute of Nuclear Physics (Rs.1.55 crore), and (4) Institute of Plasma Research (Rs.0.25 crore).
- (f) Expenditure arising out of court decrees for land compensation related to Raja Ramanna Centre for Advanced Technology.

As an equivalent amount will either be surrendered from the Capital/Voted section or met from enhanced recoveries/receipts of the Grant, the above expenditure will not entail cash outgo.

### नाभिकीय विद्युत योजनाएँ NUCLEAR POWER SCHEMES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिए और केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7)।

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

				(करोड़ रुपए F	(करोड़ रुपए Rupees in Crore)	
			राजस्व	पूंजी	जोड़	
			Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:			•••	
	स्वीकृत	Voted:	1182.59	2503.10	3685.69	
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT				
	स्वीकृत	Voted:		1313.33	1313.33	
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	116.51	0.01	116.52	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1299.10	3816.44	5115.54	
	भारित	Charged:				
	स्वीकृत	Voted:	1299.10	3816.44	5115.54	

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2801-विद्युत	स्वीकृत	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2801-Power	Voted:	116.51 (фа)		116.51
<i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	स्वीकृत	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 6801-Loans for Power Projects	Voted:	0.01 (खb)		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	C	Total (Supplementary)		116.52	•••	116.52
	भारित		Charged:			
	स्वीकृत		Voted:	116.52	•••	116.52

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है:

- (क) कुद्दनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना 1 और 2 के लिए ईंधन के संबंध में भुगतान हेतु। चूंकिं, अनुदान के पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) कुद्दनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना 1 और 2 के लिए ईंधन लागत के 85 प्रतिशत (396.12 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में विदेशी ऋण सहायता के हस्तांतरण हेतु। चूंकि, बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

- (a) payment towards fuel for Kudankulam Nuclear Power Project 1 & 2. As an equivalent amount will be surrendered from the Capital section of the Grant, a technical supplementary is sought. This will not entail any cash outgo.
- (b) for pass-through of external loan assistance for 85 per cent of fuel cost for Kudankulam Nuclear Power Project 1 & 2 (Rs. 396.12 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

### उर्वरक विभाग DEPARTMENT OF FERTILIZERS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिए)। (See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:			•••
	स्वीकृत	Voted:	18049.02	105.04	18154.06
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	2770.37		2770.37
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimates of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	4400.00		4400.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	25219.39	105.04	25324.43
	भारित	Charged:			
	स्वीकृत	Voted:	25219.39	105.04	25324.43

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2401- फसल कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted:		2700.00 (কa)	2700.00
2852- उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:		1700.00 (खb)	1700.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	<b>Total (Supplementary)</b>	Voted:	•••	4400.00	4400.00

टिप्पणी : अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियों को हिसाब में नहीं लिया

गया हैं, जिसका समायोजन व्यय में से घटाकर किया जाता है।

**Note**: The above estimates of additional requirment do not take into account the Recoveries

shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्य माग		REVENUE SECTION			
2401- फसल कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted:	 (-)700.00	(-)700.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है:-

This supplementary grant is required for the following purposes:-

- (क) (i) आयातित यूरिया पर सब्सिडी (700.00 करोड़ रुपए)
  - (ii) स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (1300.00 करोड़ रुपए।
  - (iii) आयातित विनियंत्रित उवर्रकों पर सब्सिडी (700.00 करोड़ रुपए)।
- (ख) नाइट्रोजनी उर्वरकों पर सब्सिडी (1700.00 करोड़ रुपए) इस पूरक अनुदान में 3700.00 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।
- (a) (i) subsidy on imported urea (Rs.700.00 crore)
  - (ii) subsidy on indigenous decontrolled fertilizers (Rs.1300.00 crore)
  - (iii) subsidy on imported decontrolled fertilizers (Rs.700.00 crore).
- (b) subsidy on Nitrogenous Fertilizers (Rs.1700.00 crore).

This supplementary will entail a cash outgo of Rs. 3700.00 crore.

### कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 देखिए)। (See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	205.71	30.00	235.71
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	131.71		131.71
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supple	mentary)			
	स्वीकृत		Voted:	337.42	30.00	367.42

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2230- श्रम एवं रोजगार		2230-Labour and				
	स्वीकृत	Employment	Voted:		0.50 (কa)	0.50
2803- कोयला और लिग्नाइट	स्वीकृत	2803-Coal and Lignite	Voted:	131.21 (खb)		131.21
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	<b>Total (Supplementary)</b>	Voted:	131.21	0.50	131.71

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजन हेतु है:

- (क) कोयला खान पेंशन योजना, 1978 के अन्तर्गत पेंशन तथा अनुग्रह निधि के लिए सरकारी अंशदान का भुगतान। इसमें निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) कोयला खानों का संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए भुगतान (179.99 करोड़ रुपए) और कोल-फील्ड एरिया में परिवहन ढांचागत विकास (26.93 करोड़ रुपए)। पुनर्विनियोग के पश्चात् अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें 131.21 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for:

- (a) Payment of Government contribution towards Pension cum Ex-gratia Fund under the Coal Mines Pension Scheme, 1978, This will entail net cash outgo.
- (b) Payment towards Conservation and Safety in Coal Mines (Rs.179.99 crore) and Development of Transport Infrastructure in Coal-field Areas (Rs.26.93 crore). After reappropriation the savings available within the same section of the grant, this will entail net cash outgo of Rs.131.21 crore.

#### वाणिज्य विभाग DEPARTMENT OF COMMERCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिए और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक अनुदान मांगों का पृष्ठ 10 देखिए)।

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पुंजी जोड राजस्व Capital **Total** Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः भारित Charged: 0.100.10स्वीकृत Voted: 1872.74 654.00 2526.74 I. पुरक अनुदानः I. SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत Voted: 0.01 0.01 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: भारित 1.40 Charged: 1.40 स्वीकृत Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1874.26 654.00 2528.26 भारित 1.50 1.50 Charged: स्वीकृत Voted: 1872.76 654.00 2526.76

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		1 1111	TON THE	10001
2057-आपूर्ति तथा निपटान	भारित	2057-Supplies and				
		Disposals	Charged:	•••	1.40 (কa)	1.40
2407-बागान	स्वीकृत	2407-Plantations	Voted:	0.01 (खb)		0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.01	1.40	1.41
	भारित		Charged:	•••	1.40	1.40
	स्वीकृत		Voted:	0.01	•••	0.01

इस पुरक अनुदान/विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित हेतु है:

- (क) आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के सम्बन्ध में कोर्ट डिक्री से सामने आए लम्बित दावों का निपटान। चूंकि अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भाग से समकक्ष राशि अभ्यार्पित की जाएगी, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) 20000 मैट्रिक टन मिर्च के निर्यात के सम्बन्ध में मसाला बोर्ड को सब्सिडी (9.44 करोड़ रूपए) का भुगतान तथा काजू निर्यात संवर्धन परिषद को काजू गुणवत्ता के लिए समेकित योजना के तहत निर्यात सब्सिडी (0.90 करोड़ रूपए) का भुगतान। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

This supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) settlement of pending claims arising out of court decrees in respect of Director General of Supplies and Disposals. As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue (Voted) section of the Grant, a technical supplementary is sought. This will not entail any cash outgo.
- (b) payment of subsidy to Spices Board on export of 20000 MT of Pepper (Rs. 9.44 crore) and payment of export subsidy to Cashew Export Promotion Council under 'Integrated Scheme for Cashew Quality' (Rs. 0.90 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिए)। (See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Capital Revenue Total मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: भारित Charged: 0.20 0.20 स्वीकृत Voted: 598.14 2.00 600.14 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत 0.03 Voted: 0.03 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 598.37 2.00 600.37 भारित Charged: 0.200.20स्वीकृत Voted: 598.17 2.00 600.17

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	0.01 (কa)	0.01 (खb)	0.02
2885-उद्योग एवं खनिजों		2885-Other Outlays on				
पर अन्य परिव्यय	स्वीकृत	Industries and Minerals	Voted:	0.01 (गc)		0.01
जोड़ (पूरक)		<b>Total (Supplementary)</b>		0.02	0.01	0.03
	स्वीकृत		Voted:	0.02	0.01	0.03

इन पूरक अनुदानों की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

- (क) (i) नमक मजदूर आवास योजना' के अन्तर्गत 5000 रिहायशी इकाइयों के निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदानों की व्यवस्था करने हेतु (5.00 करोड़ रुपए)।
  - (ii) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को कम्प्यूटर प्रणालियां, अन्य कक्षा उपस्कर और निर्माण कार्यों को पूरा करने हेतु अतिरिक्त अनुदानों की व्यवस्था करने हेतु (2.50 करोड़ रुपए) ।
  - (iii) भारतीय खर अनुसंधान संघ को अतिरिक्त अनुदानों की व्यवस्था करने हेतु (0.78 करोड़ रुपए) ।
- (ख) अग्रिआ लाइसेंसी आदि को अतिरिक्त सहायता अनुदानों की व्यवस्था करने हेतु जो बाढ़/वर्षा से प्रभावित हैं, साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र तथा तिमलनाडु में मूसलाधार वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त नमक निर्माण कार्यों के लिए राहत की व्यवस्था करना (8.70 करोड़ रुपए)।
- (ग) राज्य सरकारों की केन्द्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी योजना के अन्तर्गत जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के लिए विशेष श्रेणी राज्यों को दिए जाने वाले पैकेज' के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान की व्यवस्था करना (11 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे गए हैं। The supplementary grants are required for the following purposes:

- (a) (i) For providing additional grants-in-aid towards completion of construction work of 5000 dwelling units under 'Namak Majdoor Awas Yojana' (Rs.5.00 crore).
  - (ii) For providing additional grants to National Institute of Design for procurement of computer systems, other class room equipment and completion of construction works (Rs.2.50 crore).
  - (iii) For providing additional grants to Indian Rubber Manufacturers Research Association (Rs.0.78 crore).
- (b) For providing additional grants-in-aid to Agaria Licencees etc. affected by flood/rains as well as to provide relief for the damaged Salt Works due to torrential rains and natural calamities occurred in Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu (Rs.8.70 crore).
- (c) For providing additional grants-in-aid for Jammu & Kashmir, Himachal and Uttaranchal under Package for Special Category States under Central Capital Investment Subsidy scheme of State Governments (Rs.11.00 crore).

As savings are available under Revenue section of the grant, token supplementaries are sought.

### डाक विभाग DEPARTMENT OF POSTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिए)। (See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Capital **Total** Revenue I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: भारित 0.05 0.05 Charged: स्वीकृत Voted: 6533.64 385.97 6919.61 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: भारित Charged: 0.030.010.04जोड़ (मूल और पूरक) 385.98 6919.70 Total (Original plus Supplementary) 6533.72 भारित Charged: 0.08 0.01 0.09 स्वीकृत Voted: 6533.64 385.97 6919.61

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
पूंजी भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3201-डाक सेवाएं	भारित	3201-Postal Services	Charged:		0.03 (कa)	0.03
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5201-डाक सेवाओं पर पूंजी	भारित	5201-Capital Outlay on				
परिव्यय		Postal Services	Charged:	0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.01	0.03	0.04
	भारित		Charged:	0.01	0.03	0.04

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु है:

- The supplementary appropriation is sought for the following purposes:
- (क) कोर्ट के फैसले की तुष्टि में एक दुर्घटना मामले में दावेदारों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए (0.03 करोड़ रूपए)।
- (ख) कोल्लम डिविजन, केरल सर्किल में डाकघर तथा सहायक पोस्ट मास्टर क्वार्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में कोर्ट के फैसले की वजह से ब्याज के भुगतान के लिए (0.01 करोड़ रूपए)।
- इस पूरक अनुदान पर निवल नकद व्यय 0.04 करोड़ रुपए होगा।
- (a) For payment of compensation to claimants in an accident
- case in satisfaction of court judgement (Rs.0.03 crore).
- (b) For payment of interest arising out of court judgement on construction of Post Office and Sub Post Master quarters, Kollam Division, Kerala Circle (Rs.0.01 crore).

Net cash outgo on account of this supplementary is Rs.0.04 crore.

### दूरसंचार विभाग DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिए)। (See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

					(करोड़ रुपए Rupees in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	(	Charged:			
	स्वीकृत		Voted:	4565.46	101.00	4666.46
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:		25.00	25.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Suppl	ementary)	4565.46	126.00	4691.46
	भारित	(	Charged:		•••	•••
	स्वीकृत		Voted:	4565.46	126.00	4691.46
		II.इस पूरक अनुदान का हिसाब रि	नेम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अन्तर्गत दिख	बाया जाएगाः	
		II. This Supplementary Grant	will be accounted	ed for under the fol	lowing Major H	ead:
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
पूँजी भाग		<b>CAPITAL SECTION</b>				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
6859- दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक		6859-Loans for Telecommun	nication			
उद्योगों के लिए ऋण		and Electronic Industri	es			
	स्वीकृत		Voted:		25.00	25.00

यह पूरक अनुदान भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड को रुपए का ऋण उपलब्ध कराने हेतु माँगा गया है। इस प्रयोजन हेतु 25 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की गई, जिसकी प्रतिपूर्ति पूरक अनुदान के पारित होने के पश्चात निधि में कर दी जाएगी। इसमें नकद व्यय होगा। passed. This will entail cash outgo.

The supplementary grant is sought for providing loan of Rs.25 उनके कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी के भुगतान हेतु 25 करोड़ crore to Indian Telephone Industries Limited for payment of salary and wages to its employees. An advance of Rs.25 crore was sanctioned from the Contingency Fund of India for the purpose, which shall be recouped to the Fund after supplementary grant is

### खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 तथा वर्ष 2006-2007 की पहली पूरक अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिए)। (See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore		
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.02		0.02
	स्वीकृत	Voted:	24655.88	339.60	24995.48
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT			
	भारित	Charged:	0.56		0.56
	स्वीकृत	Voted:	1.12	•••	1.12
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:	0.37		0.37
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	24657.95	339.60	24997.55
	भारित	Charged:	0.95		0.95
	स्वीकृत	Voted:	24657.00	339.60	24996.60

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD				
3456-नागरिक आपूर्ति	भारित	3456-Civil Supplies	Charged:		0.37	0.37

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्थापित केन्द्रीय सतर्कता समिति पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति हेतु।

चूंकि अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग के अन्तर्गत समकक्ष बचतें उपलब्ध हैं, और जिन्हें इस लेखे में अभ्यर्पित किया जाएगा, इसलिए तकनीकी पुरक अनुदान मांगा गया है।

This supplementary appropriation is sought for recoupment of an advance obtained from the Contingency Fund of India for meeting expenditure on the Central Vigilance Committee set up as per the order of the Supreme Court of India.

As equivalent savings are available within the Revenue/Voted Section of the Grant which will be surrendered on this account, technical supplementary is sought.

### संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2006-07 की पहली पूरक अनुदान की मांगों का पृष्ट 13 देखिए)। (See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

				(करीड़ रुपए Rupees in C		ipees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	772.00	48.00	820.00
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	25.05		25.05
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supple	ementary)			
	स्वीकृत		Voted:	797.06	48.00	845.06

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2205-कला एवं संस्कृति	स्वीकृत	2205-Art and Culture	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु मांगा गया हैः

- (i) नृत्य, नाटक और थिएटर दृश्य को विशेषज्ञ समिति द्वारा यथा-अनुमोदित सहायता (4 करोड़ रुपए)।
- (ii) सांस्कृतिक संगठनों को विशेषज्ञ समिति द्वारा यथा-अनुमोदित सहायता (4 करोड़ रुपए)।
- (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र को भवन निर्माण के लिए सहायता (6 करोड़ रुपए)।

चूंकि उपरोक्त व्यवस्थाओं की पूर्ति अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों से की जाएगी, अत; सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (i) Assistance to Dance, Drama & Theatre Ensembles as approved by Expert Committee (Rs.4 crore).
- (ii) Assistance to cultural organisations as approved by the Expert Committee (Rs.4 crore).
- (iii) Assistance to Indira Gandhi National Centre for Arts for construction of building (Rs.6 crore).

As the above provisions will be met from the savings available within the same section of the grant, a token supplementary has been sought

### रक्षा मंत्रालय MINISTRY OF DEFENCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिए)। (See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Capital **Total** Revenue I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: भारित 0.26 0.26 Charged: स्वीकृत Voted: 6817.41 682.17 7499.58 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत Voted: 64.00 4.96 68.96 जोड़ (मूल और पूरक) 6881.67 7568.80 Total (Original plus Supplementary) 687.13 भारित Charged: 0.26 0.26 स्वीकृत Voted: 6881.41 687.13 7568.54

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
पूंजी भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	64.00 (कa)		64.00
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4858-इन्जीनियरिंग उद्योगों	स्वीकृत	4858-Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय		<b>Engineering Industries</b>	Voted:	•••	4.96 <sup>(खb)</sup>	4.96
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		64.00	4.96	68.96
	स्वीकृत		Voted:	64.00	4.96	68.96

(b)

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु हैः

- (क) अनुसंधान तथा विकास केन्द्र की स्थापना हेतु भारत अर्थ मूवर्स (a) लिमिटेड को सहायता अनुदान (64 करोड़ रूपए) उपलब्ध कराने के लिए। चूंकि अनुदान सं. 48-भारी उद्योग विभाग से समकक्ष राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा सरकार के पक्ष में जारी बोनस शेयरों का लेखा (4.96 करोड़ रूपए), चूंकि समकक्ष राशि विविध पूंजी प्राप्तियों के बतौर मानी जाएगी, इसलिए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

This supplementary grant is sought for the following purposes:

For providing grants-in-aid to Bharat Earth Movers Limited for setting up a Research and Development Centre (Rs.64 crore). As equivalent amount will be surrendered from Grant No. 48-Department of Heavy Industry, there will be no cash outgo.

For accountal of bonus shares issued in favour of Government by Goa Shipyard Limited (Rs.4.96 crore). As an equivalent amount will be assumed as Miscellaneous Capital receipts, this will not entail cash outgo.

### रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक माँगों का पृष्ठ 14 देखिए)। (See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

				( करोड़ रुपए R	upees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:		13.75	13.75
	स्वीकृत	Voted:		37444.25	37444.25
पूरक अनुदानः		SUPPLMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:		15.00	15.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	0	the amount now required:			
	भारित	Charged:	•••	49.05	49.05
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	•••	37522.05	37522.05
	भारित	Charged:		77.80	77.80
	स्वीकृत	Voted:		37444.25	37444.25
		II.इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख	य शीर्ष के अन्तर्गत '	दिखाया जाएगाः	
		II.This Supplementary Appropriation will be	e accounted for un	der the following	g Major Head:
		7 11 1	आयोजना	आयोजना-भिन्न	-
			Plan	Non-Plan	Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर		4076-Capital Outlay			
पूंजी परिव्यय		Defence Services			
	भारित	Charged:		49.05	49.05

यह पूरक विनियोग थलसेना, नौसेना, वायुसेना, आयुध कारखाना और अनुसंधान विकास संगठन में 'भूमि', 'निर्माण' और 'भवन-निर्माण कार्यों' के तहत न्यायालय की डिक्रियों से होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि समतुल्य राशि अनुदान के स्वीकृत भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure, arising out of court decrees, under 'land', 'works' and 'construction works' in Army, Navy, Air Force, Ordnance Factories and Research Development Organisation. As an equivalent amount will be surrendered from the voted section of the grant, there will be no cash outgo.

### पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिए)। (See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

					(करोड़ रुपए R	हरोड़ रुपए Rupees in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान :		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत		Voted:	1253.74	109.05	1362.79	
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of					
का पूरक अनुमान		the amount now required:					
	स्वीकृत		Voted:	•••	2.00	2.00	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supple	ementary)				
	स्वीकृत		Voted:	1253.74	111.05	1364.79	

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION MAJOR HEAD				
6851-ग्रामीण तथा लघु		6851-Loans for Village				
उद्योगों हेतु ऋण	स्वीकृत	and Small Industries	Voted:	•••	2.00	2.00

यह पूरक अनुदान पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम लिमिटेड ऋण उपलब्ध कराने के लिए मांगा गया है।

इसमें निवल नकद व्यय होगा।

This supplementary grant is sought for providing loan to North (एनईआरएएमएसी) को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited (NERAMAC) for meeting their working capital requirements.

This will entail net cash outgo.

### पर्यावरण और वन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिए)। (See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Revenue **Capital Total** I. मूल अनुदान : I. ORIGINAL GRANT: भारित Charged: स्वीकृत 1495.63 1520.14 Voted: 24.51 पूरक अनुदान : **SUPPLEMENTARY GRANT:** भारित 0.600.60 Charged: इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: भारित 0.21 0.21 Charged: जोड़ (मूल और पूरक) 1520.95 **Total (Original plus Supplementary)** 1495.84 25.11 भारित Charged: 0.210.60 0.81स्वीकृत Voted: 1495.63 24.51 1520.14

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b> <b>मुख्य शीर्ष</b> 2406-वानिकी और वन्यजीवन		REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2406-Forestry and				
	भारित	Wildlife	Charged:	0.21		0.21
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		0.21	•••	0.21

यह पूरक विनियोग 'राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान' द्वारा पंचाट निर्णय की वजह से ब्याज के भुगतान हेतु अपेक्षित है। चूंकि समतुल्य राशि अनुदानके राजस्व (स्वीकृत) भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, अतः तकनीकी पूरक अनुदान माना गया है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

This supplementary appropriation is required for payment of interest by the 'National Institute of Animal Welfare' arising out of Arbitrator's award. As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue (Voted) section of the Grant, a technical supplementary is sought. This will not entail any cash outgo.

### विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2006-2007 की पहली पूरक अनुदान की मांगों का पृष्ठ 16 देखिए)।

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

				(करोड़ रुपए F	Rupees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
-	भारित	Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत	Voted:	3464.61	230.41	3695.02
पूरक अनुदानः	C	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	101.03		101.03
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	141.16		141.16
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	3706.83	230.41	3937.24
	भारित	Charged:	0.03	•••	0.03
	स्वीकृत	Voted:	3706.80	230.41	3937.21

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat General Services		11.76 (कa)	11.76
2061- विदेश मामले	2061-External Affairs		61.40 (खb)	61.40
3605- अन्य देशों के साथ तकनीकी	3605-Technical and Economic			
एवं आर्थिक सहयोग	Cooperation with other countries		68.00 (чс)	68.00
जोड़ (पूरक) स्वीकृत	Total (Supplementary) Voted:	•••	141.16	141.16

- ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु माँगें गए हैं :
- (क) अकबर भवन के वर्धित किराए के भुगतान हेतु (11.76 करोड़ रुपए)।
- (ख) निम्नलिखित पर हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु
  - (i) बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी (बीआईएमएसटीईसी) संबंधी पहल शिखर सम्मलेन और भारत में आयोजित अफगानिस्तान से सम्बद्ध क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (आरईसी) सम्मेलन का आयोजन (0.82 करोड रुपए)।
  - (ii) कॉमनवेत्थ एक्शन प्लान फॉर डिजिटल डिवाइड (1.05 करोड़ रुपए), कॉमनवेत्थ फाउंडेशन (0.07 करोड़ रुपए), यूएन कैपिटल मास्टर प्लान (0.12 करोड़ रुपए), यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन फंड (9.50 करोड़ रुपए), साउध्य फंड फॉर डेवलपमेंट एंड ह्ययूमैनिटेरियन असिस्टेंस (9.40 करोड़ रुपए), सेन्ट्रल इमरजेंसी रेस्पॉन्स फंड (9.40 करोड़ रुपए), कैपिटल फंड फॉर साउथ सेन्टर फॉर साउथ-साउथ कोऑपरेशन, जिनेवा (4.70 करोड़ रुपए) और आसियान-डेवेलपमेंट फंड (1.65 करोड़ रुपए) में अंशदान।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) For payment of increased rental on Akbar Bhavan (Rs. 11.76 crore).
- (b) For meeting additional expenditure on
  - (i) Bay of Bengal initiative for Multi-Sectoral Technical & Economic Cooperation (BIMSTEC) Summit and Regional Economic Cooperation (REC) Conference on Afghanistan to be held in India (Rs. 0.82 crore).
  - (ii) Contributions to Commonwealth Action Plan for Digital Divide (Rs. 1.05 crore), Commonwealth Foundation (Rs. 0.07 crore), UN Capital Master Plan (Rs. 0.12 crore), UN Peace Building Commission Fund (Rs. 9.50 crore), South Fund for Development & Humanitarian Assistance (Rs. 9.40 crore), Central Emergency Response Fund (Rs. 9.40 crore), Capital Fund for South Centre for South-South Cooperation, Geneva (Rs. 4.70 crore) and ASEAN Development Fund (Rs. 1.65 crore).

- (iii) ब्रुसेल्स और जापान में भारत महोत्सव तथा भारत में लैटिन अमरीकी देशों का महोत्सव (2 करोड़ रुपए)।
- (iv) 14वें सार्क/बिम्सटेक/ई शिखर सम्मेलन हेतु 11 बुलेट प्रूफ कारों की खरीद (17.75 करोड़ रुपए), लेबनान के पुनर्निर्माण हेतु मानवतावादी और राहत प्रयासों में भारत सरकार के अंशदान का भुगतान ।
- (ग) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकता है :-
  - (i) परियोजना संबंधी सहायता और उत्पाद शुल्क वापसी के तहत भूटान को सहायता (50 करोड़ रुपए)।
  - (ii) अर्मेनिया को 240 ट्रैक्टरों की आपूर्ति हेतु परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय एशिया को सहायता (3 करोड़ रुपए)
  - (iii) म्यान्मार में कॉन्टिनेंटल शेल्फ और तामु कालेमयो कलेवा सड़क की पुनर्मरम्मत हेतु सहायता प्रदान करने के लिए म्यान्मार को सहायता (15 करोड़ रुपए)।

उपरोक्त पूरक अनुदानों में नकद व्यय होगा ।

- (iii) Festival of India in Brussels and Japan and Festival of Latin American countries in India (Rs. 2 crore).
- (iv) Purchase of 11 Bullet Resistant Cars for 14th SAARC/BIMSTEC/E Summit (Rs. 17.75 crore), payment of GOI contribution to Humanitarian and relief efforts to rebuild Lebanon (Rs. 4.94 crore).
- (c) The additional requirements are for :-
  - (i) Aid to Bhutan under Project Tied Assistance and Excise Duty Refund (Rs. 50 crore).
  - (ii) Aid to Central Asia for part funding of the project for supply of 240 tractors to Armenia (Rs. 3 crore).
  - (iii) Aid to Myanmar for providing assistance for Delineation of continental shelf in Myanmar and resurfacing of the Tamu-Kalemyo Kalewa Road (Rs. 15 crore).

The above supplementaries shall entail cash outgo.

### आर्थिक कार्य विभाग DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों के पहले बैच की पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिए)।

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 17 of the First batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	2887.82	658.01	3545.83
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRAN	/ <b>T</b> :			
	स्वीकृत		Voted:	0.01	0.01	0.02
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supple	ementary)			
	स्वीकृत		Voted:	2887.84	658.02	3545.86

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3475- अन्य सामान्य आर्थिक		3475-Other General				
सेवाएं	स्वीकृत	<b>Economic Services</b>	Voted:		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान भारतीय निर्यात एवं आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता के भुगतान के सबंध में 100 करोड़ रुपए के व्यय को पूरा करने के लिए मांगा गया है। चूंकि, अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for meeting the expenditure of Rs.100 crore in connection with payment of interest equalisation support to Exim Bank of India. As the savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

### वित्तीय संस्थाओं को भुगतान PAYMENTS TO FINANCIAL INSTITUTIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानोंकी मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पूरक मांगों का पृष्ठ 18 तथा 19 देखिए)। (See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 18 and 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

				(करोड़ रुपए Rup	ees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत		Voted:	4169.43	232.80	4402.23
	SUPPLMENTARY GRANT:				
स्वीकृत		Voted:	4208.61	42.45	4251.06
<u>ग्</u> यीक्ट्रन	the amount now required:	Vhtadi	2250 16	0.01	2250 17
रपाप्ट्ररा	Total (Original plus Supple		2339.10	0.01	2359.17
स्वीकत	100m (01.g.m. p.ms suppl		10737.20	275.26	11012.46
c	II. इस पुरक अनुदान का हिसाब ी				
	ι, σ	J			Heads:
	•		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
			Plan	Non-Plan	Total
	REVENUE SECTION				
	MAJOR HEAD				
	2235-Social Security and				
	Welfare				
स्वीकृत		Voted:		1359.14 (কa)	1359.14
	2416-Agricultural Financial				
	Institutions				
स्वीकृत		Voted:		1000.01 (खb)	1000.01
	2885-Other Outlays on				
	Industries and Minerals				
स्वीकृत		Voted:		0.01 (गc)	0.01
स्वीकृत	<b>Total-Revenue Section</b>	<b>Voted:</b>	•••	2359.16	2359.16
	CAPITAL SECTION				
	MAJOR HEAD				
	5465-Investments in General				
	Financial and Trading				
	Institutions				
स्वीकृत		Voted:		0.01 (ঘd)	0.01
-	Total (Supplementary)				
स्वीकृत	<del>-</del> -	<b>Voted:</b>	•••	2359.17	2359.17
	स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	स्वीकृत Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत Total (Original plus Supple शिक्त II. इस पूरक अनुदान का हिसाब वि II. This Supplementary Grant II. This Supplementary Grant II. This Supplementary Grant Welfare  REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2235-Social Security and Welfare स्वीकृत 2416-Agricultural Financial Institutions स्वीकृत 2885-Other Outlays on Industries and Minerals स्वीकृत Total-Revenue Section CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 5465-Investments in General Financial and Trading Institutions स्वीकृत Total (Supplementary)	स्वीकृत Voted: SUPPLMENTARY GRANT: स्वीकृत Voted: Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत Voted: Total (Original plus Supplementary) स्वीकृत Voted: II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख II. This Supplementary Grant will be account will be accoun	स्वीकृत	स्थाकृत । तारांवाचाता । स्वांकृत । स्थाकृत ।

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (क) (i) गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को लाभ प्रदान करने हेतु सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति को पूरा करना (10.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (a) (i) To meet additional requirement (Rs. 10.00 crore) for Universal Health Insurance Scheme for the benefit of Below Poverty Line (BPL) families. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ii) आंन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के ऋण में फंसे किसानों को प्रधानमंत्री की घोषणानुसार ब्याज राहत (1359.13 करोड़ रुपए) प्रदान करने के लिए। इसमें से 125.00 करोड़ रुपए की राशि भारत की आकस्मिता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) (i) किसानों को अल्पाविध ऋण पर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से कृषि ऋण सहायता योजना के लिए ब्याज सब्सिडी (37.50 करोड़ रूपए) प्रदान करने हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
  - (ii) किसानों को अल्पावधि ऋण पर ब्याज सब्सिडी (1000.00 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) गोअन बैंकों को ब्याज सब्सिडी (7.75 करोड़ रूपए) की व्यवस्था प्रदान करने हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (घ) (i) इंडियन बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी के भाग की पुनर्संरचना हेतु (400 करोड़ रूपए)।
  - (ii) सेन्द्रल बैंक ऑफ इंडिया की इक्विटी शेयर पूंजी के भाग की पुनर्संरचना हेतु (800 करोड़ रुपए)। चूंकि दोनों मामलों में इक्विटी पूंजी को असंचयी अधिमानित शेयर पूंजी में परिवर्तित करना शामिल है और इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ii) For providing interest relief (Rs.1359.13 crore) to the debt stressed farmers of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and Maharashtra as announced by Prime Minister. Out of this, a sum of Rs. 125.00 crore is required to recoup the advance taken from the Contingency Fund of India. This will entail a cash outgo.
- (b) (i) For providing interest subsidy towards Agricultural Credit Support Scheme through National Bank for Agriculture and Rural Development(NABARD) on short term credit to farmers (Rs. 37.50 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - (ii) For providing interest subvention on short term credit to farmers (Rs. 1000.00 crore). This will entail a cash outgo.
- (c) For providing interest subsidy (Rs.7.75 crore) to Goan Banks. As savings are available with in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) (i) For restructuring a portion of equity share capital of Indian Bank (Rs.400 crore).
  - (ii) For restructuring a portion of equity share capital of Central Bank of India (Rs.800 crore). As a conversion of equity capital to non-cumulative preference share capital is involved in both cases, and there is no cash outgo, hence a token supplementary is sought.

### राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 और अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिए)। (See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 20 of the First Supplementary Demands for Grants).

				(करोड़ रुपए)	Rupees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	29406.50	5000.00	34406.50
	स्वीकृत	Voted:	28924.79		28924.79
पूरक अनुदान		SUPPLEMENTARY GRANT			
	स्वीकृत	Voted:	4500.00	0.00	4500.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:	195.61	0.00	195.61
	स्वीकृत	Voted:	7793.03	0.00	7793.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	70819.93	5000.00	75819.93
- (6) 6 /	भारित	Charged:	29602.11	5000.00	34602.11
	स्वीकृत	Voted:	41217.82	0.00	41217.82

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
			Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2075-विविध सामान्य सेवाएं		2075-Miscellaneous			
	स्वीकृत	General Services Voted	0.00	3856.73 (कa)	3856.73
2245-प्राकृतिक आपदाओं के		2245-Relief on Account			
संबंध में राहत	स्वीकृत	of Natural Calamities Voted	0.00	500.00 (खb)	500.00
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-Aid to			
सहायता अनुदान	भारित	State Governments Charged:	0.00	195.61 (गc)	195.61
	स्वीकृत	Voted:	3436.30 (ਬd)	0.00	3436.30
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	3436.30	4552.34	7988.64
	भारित	Charged:	0.00	195.61	195.61
	स्वीकृत	Voted:	3436.30	4356.73	7793.03

- ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेत् अपेक्षित हैं:
- (क) 12 वें वित्त आयोग पंचाट के अंतर्गत ऋण माफी योजना के तहत राज्य सरकारों के ऋणों को बट्टे खाते में डालना (3856.73 करोड़ रुपए)। इसकी प्रतिपूर्ति वसूलियों द्वारा की जाएगी।
- (ख) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति (500.00 करोड़ रुपए) हेतु व्यवस्था करना।
- (ग) सेवाओं के उन्नयन और विशेष समस्याओं के संबंध में अनुदानों (98.69 करोड़ रुपए) की व्यवस्था करना तथा प्रोत्साहन निधियों में केन्द्र का अंशदान (96.92 करोड़ रुपए)।
- (घ) (i) सामान्य केन्द्रीय सहायता (2100 करोड़ रुपए) प्रदान करना।
  - (ii) विशेष केन्द्रीय सहायता (436.20 करोड़ रुपए) प्रदान करना।
  - (iii) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (900 करोड़ रुपए) प्रदान करना।
- (ख), (ग) और (घ) के संबंध में 4131.91 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for the following purposes:-

- (a) Write off of loans to the State Governments under Debt Waiver Scheme under the 12th Finance Commission Award (Rs. 3856.73 crore). This will be matched by recoveries.
- (b) To provide for the recoupment of the National Calamity Contingency Fund (Rs. 500.00 crore).
- (c) To provide grants for Upgradation of Services and Special Problems (Rs. 98.69 crore) and Centre's contribution to Incentive Funds (Rs. 96.92 crore).
- (d) (i) To provide for Normal Central Assistance (Rs.2100 crore)
  - (ii) To provide for Special Central Assistance (Rs.436.30 crore)
  - (iii) To provide for National Social Assistance Programme (Rs. 900 crore)
- (b), (c) and (d) will entail a net cash outgo of Rs. 4131.91 crore.

### व्यय विभाग DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 देखिए)। (See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

				(करोड़ रुपए Rupees in Cro		ipees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	29.45		29.45
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	3.72	•••	3.72
→ (— » → —)		T + 1/0 ! ! 1 1 0 1				
जोड़ (मूल और पूरक)	_0	Total (Original plus Supple	• /	22.4=		22.45
	स्वीकृत		Voted:	33.17	•••	33.17
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब	ानम्नालाखत मुख	। शाष क अन्तगत दि	खाया जाएगाः	

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ		2070-Other Administrative				
	स्वीकृत	Services	Voted:		3.72	3.72

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन हेतु आकस्मिकता निधि से ली गई 1.98 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति और उक्त आयोग के 1.74 करोड़ रुपए के स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु यह पूरक अनुदान मांगा गया है।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required to recoup an advance of Rs. 1.98 crore taken from the Contingency Fund of India for setting up Sixth Central Pay Commission and Rs. 1.74 crore to meet the establishment related expenditure of the said Commission.

This will entail a cash out go.

### राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों के पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिए)। (See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.02		0.02
	स्वीकृत	Voted:	3339.07	2.06	3341.13
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित	Charged:	23.00		23.00
	स्वीकृत	Voted:	1000.00		1000.00
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	100.00		100.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	4462.09	2.06	4464.15
	भारित	Charged:	23.02		23.02
	स्वीकृत	Voted:	4439.07	2.06	4441.13

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION				
3		MAJOR HEAD				
3601- राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to State				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	Governments	Voted:		100.00	100.00

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता मूल्य वर्धित कर (वैट) को प्रारम्भ करने की वजह से होने वाली राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों की क्षितिपूर्ति के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional requirement for compensation to State Governments for revenue loss due to introduction of Value Added Tax (VAT). This will entail a cash out go.

### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24-25 देखिए)।

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and pages 24-25 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

					(करोड़ रुपए Rupees in Cror	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान :		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	13874.55	475.68	14350.23
पूरक अनुदान :		SUPPLEMENTARY GRAN	VT:			
	स्वीकृत		Voted:	0.01	4.50	4.51
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	0.01	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supple	ementary)			
	स्वीकृत		Voted:	13874.58	480.19	14354.77

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>राजस्व भाग</b> <b>मुख्य शीर्ष</b> 2210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	स्वीकृत	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2210-Medical and Public Health	Voted:	0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02
जोड़ राजस्व भाग	-	<b>Total Revenue Section</b>	Voted:	0.01	0.01	0.02
<b>पूंजी भाग</b> <b>मुख्य शीर्ष</b> 4210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर परिव्यय	स्वीकृत	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4210-Capital Outlay on Mo and Public Health	edical	0.01 (πc)		0.01
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	<b>Total Capital Section</b>	Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.01	0.03

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है :

This supplementary grant is required for the following purposes:

- (क) (i) सीजीएचएस, दिल्ली के कम्प्यूटरीकरण हेतु (8.74 करोड़ रुपए)।
  - (ii) जैव-चिकित्सीय अस्पताल अपशिष्ट निपटान हेतु ढांचागत विकास के लिए सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपए);
  - (iii) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को उपस्करों की खरीद, पूंजी कार्यों और 'जीनोमिक्स' एक नया अनुसंधान कार्यक्रम के संबंध में सहायता-अनुदान (90.97 करोड़ रुपए);
  - (iv) कस्तूबरबा हेल्थ सोसइटी, वर्घा में कैंसर संबंधी देखभाल और अन्य मौजूदा सुविधा के उन्नयन हेतु सहायता अनुदान (7.42 करोड़ रुपए);
  - (v) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष वितरण के अंतर्गत बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुपुर्दगी प्रणाली हेतु गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के उन्नयन हेतु सहायता अनुदान (20.00 करोड़ रुपए);

- (a) (i) For computerization of CGHS, Delhi (Rs.8.74 crore);
  - (ii) Grants-in-aid for infrastructure development for Biomedical Hospital Waste Disposal (Rs.1.00 crore);
  - (iii) Grants-in-aid to Indian Council of Medical Research towards purchase of equipment, capital works and implementation of 'genomics' a new research programme (Rs.90.97 crore);
  - (iv) Grants-in-aid for upgradation of cancer care and other existing facility in Kasturba Health Society, Wardha (Rs.7.42 crore);
  - (v) Grants-in-aid for upgrading Guwahati Medical College for better health care delivery system under special dispensation for North Eastern Region (Rs.20.00 crore);

- (vi) चिकुनगुनिया बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण हेतु विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत राज्य मलेरिया नियंत्रण संस्थाओं को सहायता अनुदान (14.28 करोड़ रुपए);
- (vii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 'नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम' के तहत राज्य मलेरिया नियंत्रण संस्थाओं को सहायता अनुदान (18.20 करोड़ रुपए)।
- (viii) राज्य टी.बी. संस्थाओं को सहायता अनुदान (12.00 करोड़ रुपए)।
- (ix) 'मुफ्त आपूर्ति और सामाजिक विपणन संगठन' स्कीम के तहत राज्यों द्वारा कंडोमों के मुफ्त वितरण संबंधी अतिरिक्त व्यय (90.00 करोड़ रुपए)।
- (x) लाला राम स्वरुप टी.बी. अस्पताल को सहायता (0.36 करोड़ रुपए)।
- (xi) जिला और निम्न स्तरों पर कार्यक्रमों की पहुंच के विस्तार हेतु 'विज्ञापन एवं प्रचार' (29.15 करोड़ रुपए) और व्यावसायिक सेवाओं (24.05 करोड़ रुपए) पर हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
- (ख) राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों (बीपीएल) के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ग) (i) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चल रहे पूंजीगत कार्यों पर हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1 करोड़ रुपए),
  - (ii) डा. आर.एम.एल. अस्पताल द्वारा उपस्कर की प्राप्ति पर हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेत् (10 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (vi) Grants-in-aid to the State Malaria Control Societies under Externally Aided Projects for prevention and control of Chikungunya disease (Rs.14.28 crore);
- (vii) Grants-in-aid to the State Malaria Control Societies under the scheme 'National Vector Borne Disease Control Programme' under National Rural Health Mission (Rs.18.20 crore);
- (viii) Grants-in-aid to State T.B. Societies (Rs.12.00 crore);
  - (ix) Additional expenditure on free distribution of condoms by the States under the scheme 'Free Supply and Social Marketing Organizations' (Rs.90.00 crore);
  - (x) Assistance to Lala Ram Sarup TB Hospital (Rs.0.36 crore);
- (xi) For meeting additional expenditure on 'Advertisement & Publicity' (Rs.29.15 crore) and Professional Services (Rs.24.05 crore) to expand outreach programmes to the District and lower levels.
- (b) For meeting additional expenditure for below poverty line (BPL) patients under Rashtriya Arogya Nidhi (Rs.2.00 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary grant is sought.

- (c) (i) For meeting additional expenditure on ongoing capital works in Safdarjung Hospital, New Delhi (Rs.1 crore),
  - (ii) For meeting additional expenditure on procurement of equipment by Dr. R.M.L. Hospital (Rs.10 crore).

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष) DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिए और वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पहली पूरक अनुदान मांगों का पृष्ठ 26 देखिए)।

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	445.89	2.00	447.89
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRA	ANT:			
	स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Suppl	ementary)			
	स्वीकृत		Voted:	445.92	2.00	447.92

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वीकृत	2210-Medical and Public				
स्वास्थ्य	Health	Voted:	0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.01	0.02

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:-

- This supplementary grant is required for the following purposes:-
- (क) (i) "सूचना शिक्षा और संचार" योजना के अन्तर्गत एनजीओ को अतिरिक्त सहायता अनुदान जारी करना (0.25 करोड़ रूपए);
  - (ii) "राष्ट्रीय औषधीय पौंघ बोर्ड" के अन्तर्गत परियोजनाओं से सम्बद्ध अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (12.00 करोड़ रूपए);
  - (iii) केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान, परिषद, जम्मू आदि में भवनों के निर्माण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को भुगतान करने के लिए (2.40 करोड़ रूपए);
  - (iv) केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंघान परिषद, नई दिल्ली को परियोजनाओं से सम्बन्धित अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.50 करोड़ रूपए);
  - (v) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पूणे के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.46 करोड़ रूपए);
  - (vi) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली से सम्बद्ध अतिरिक्त स्थापना सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु (0.80 करोड़ रूपए);
- चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (a) (i) Release of additional grants-in-aid to NGOs under the scheme 'Information, Education and Communication' (Rs. 0.25 crore);
  - (ii) For meeting the additional expenditure on projects under 'National Medicinal Plants Board' (Rs. 12.00 crore);
  - (iii) For payment to CPWD for construction of buildings of Central Council for Research in Ayurveda and Siddha at Jammu, etc. (Rs. 2.40 crore);
  - (iv) For meeting the additional expenditure on projects of Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi (Rs. 0.50 crore);
  - (v) For meeting additional expenditure in respect of National Institute of Naturopathy, Pune (Rs. 0.46 crore);
  - (vi) For meeting the additional establishment related expenditure related to Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi (Rs. 0.80 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (i) अतिरिक्त स्थापना सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु (0.03 करोड़ रूपए);
  - (ii) 'केन्द्रीय होम्योपैथी' परिषद्, नई दिल्ली द्वारा होम्योपैथी के मैनडेटरी सैंटर रजिस्टर के मुद्रण हेतु प्रकाशन नियंत्रक को भुगतान करने के लिए (0.67 करोड़ रूपए);
  - (iii) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के सम्बन्ध में अतिरिक्त स्थापना सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु (0.40 करोड़ रूपए);
  - (iv) केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के सम्बन्ध में पेंशन, डीसीआरजी आदि से सम्बद्ध अतिरिक्त स्थापना सम्बन्धी व्यय की पूर्ति के लिए (3.68 करोड़ रूपए);
  - (v) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता से सम्बद्ध विभिन्न न्यायालय मामलों तथा विद्युतीय/सिविल रख रखाव कार्यों के लिए विधिक व्ययों के भुगतान हेतु (0.05 करोड़ रूपए);
  - (vi) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के अतिरिक्त स्थापना सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु (0.10 करोड़ रूपए);

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- केन्द्रीय संयुक्त भवन परिसर परिषद, नई दिल्ली के सम्बन्ध में (b) (i) For meeting the additional establishment related expenditure in respect of Central Council Combined Building Complex, New Delhi (Rs. 0.03 crore);
  - (ii) For payment to Controller of Publications for printing of mandatory Center Register of Homoeopathy by Central Council of Homoeopathy, New Delhi (Rs. 0.67 crore);
  - (iii) For meeting the additional establishment related expenditure in respect of National Institute of Ayurveda, Jaipur (Rs. 0.40 crore);
  - (iv) For meeting the additional establishment related expenditure on pension, DCRG, etc. in respect of Central Council for Research in Ayurveda and Siddha, New Delhi (Rs. 3.68 crore);
  - (v) For payment of legal expenses for various court cases and electrical/civil maintenance works related to National Institue for Homoeopathy, Kolkata (Rs. 0.05 crore);
  - (vi) For meeting the additional establishment related expenditure of Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi (Rs. 0.10 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### भारी उद्योग विभाग **DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY**

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिए और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक अनुदान मांगों का पृष्ट 27)।

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 27 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	332.74	580.88	913.62
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GI	RANT:			
	स्वीकृत		Voted:	1992.30	0.02	1992.32
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	•••	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Suppl	ementary)			
	स्वीकृत		Voted:	2325.04	580.92	2905.96

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष		CAPITAL SECTION MAJOR HEAD				
4858-इन्जीनियरिंग उद्योगों पर पूंजी परिव्यय		4858-Capital Outlay on Eng Industries	ineering			
C,	स्वीकृत		Voted:	0.01 (কa)		0.01
4854-सीमेंट तथा अधात्विक		4854-Capital Outlay on				
खनिज उद्योगों पर		Cement and Non-metallic				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Mineral Industries	Voted:	0.01 (國b)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	•••	0.02

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतू है:

- इक्विटी के रूप में ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि. के पुनर्गटन (a) (क) के कारण इसे सहायता (15 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है।
- लेखा समायोजन करने हेतु अर्थात् भारतीय सीमेंट निगम लि. के (b) (ख) सम्बन्ध में भारत सरकार के ऋण (1.50 करोड़ रुपए) को इक्विटी में बदलने हेतु सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

This supplementary grant is sought for the following purposes:

For providing assistance to Bridge and Roof Company (India) Ltd. (Rs. 15 crore) in the form of equity, consequent upon its restructuring. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

A token supplementary is sought for carrying out accounting adjustments, viz. conversion of Government of India loan (Rs. 1.50 crore) into equity in respect of Cement Corporation of India Ltd.

### गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिए)। (See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.05	0.00	0.05
	स्वीकृत	Voted:	759.45	41.50	800.95
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	0.00	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	759.51	41.50	801.01
	भारित	Charged:	0.05	0.00	0.05
	स्वीकृत	Voted:	759.46	41.50	800.96

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं		2070-Other Administrative				
	स्वीकृत	Services	Voted:	0.00	0.01	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.00	0.01	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता असम-नागालैंड तथा असम-अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद के निपटान के लिए नवगठित न्यायमूर्ति एस.एन. वरैवा आयोग पर होने वाले व्यय (0.25 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु है।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उक्त व्यय की पूर्ति हेतु बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for meeting the expenditure on newly set up Justice S.N. Varaiava Commission to settle the boundary disputes between the States of Assam-Nagaland and Assam-Arunachal Pradesh (Rs. 0.25 crore)

As savings are available to meet the above expenditure within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

### पुलिस **POLICE**

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिए और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक अनुदान मांगों का पृष्ठ 29 देखिए)।

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	3.44	17.35	20.79
	स्वीकृत	Voted:	14090.65	2039.38	16130.03
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	0.01	0.02
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	547.52		547.52
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	14641.62	2056.74	16698.36
	भारित	Charged:	3.44	17.35	20.79
	स्वीकृत	Voted:	14638.18	2039.39	16677.57

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
पूंजी भाग		<b>REVENUE SECTION</b>				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:		547.52	547.52
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	Voted:	•••	547.52	547.52

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता असम राइफल्स (93.00 करोड़ रूपए), सीमा सुरक्षा बल (95.13 करोड़ रूपए), केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल (210.18 करोड़ रूपए), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (47.90 करोड़ रूपए), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (12.00 करोड़ रूपए), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (14.12 करोड़ रूपए), सशस्त्र सीमा बल (50.00 करोड़ रूपए), और दिल्ली पुलिस (25.09 करोड़ रूपए), के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

इस पूरक अनुदान में नकद व्यय होगा।

This supplementary grant is required for establishment expenditure of Assam Rifles (Rs.93.00 crore), Border Security Force (Rs.95.13 crore), Central Reserve Police Force (Rs.210.28 crore), Central Industrial Security Force (Rs.47.90 crore), National Security Guard (Rs.12.00 crore), Indo-Tibetan Border Police (Rs.14.12 crore), Sashastra Seema Bal (Rs.50.00 crore) and Delhi Police (Rs.25.09 crore).

The supplementary will involve cash outgo.

### गृह मंत्रालय के अन्य व्यय OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 तथा वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पहली बैच की पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिए)। (See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 30 of the First Batch of Supplementary Demand for Grants for the year 2006-2007).

					( करोड़ रुपए Rupees in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL	GRANT:			
	भारित		Charged:	0.02		0.02
	स्वीकृत		Voted:	964.51		964.51
पूरक अनुदानः		SUPPLMENTA	RY GRANT:			
	स्वीकृत		Voted:	337.11		337.11
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary I	Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now	required:			
	स्वीकृत		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original	plus Supplementary)	1301.66	•••	1301.66
	भारित		Charged:	0.02		0.02
	स्वीकृत		Voted:	1301.64		1301.64
		ει Ο	न का हिसाब निम्नलिखित मुख्य entary Grant will be account			Heads:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं		2235-Social Security &				
कल्याण		Welfare				
	स्वीकृत		Voted:		0.01(कa)	0.01
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	State Governments	Voted:	•••	0.01(खb)	0.01
जोड़-(पूरक)		Total (Supplementary)				
	स्वीकृत		Voted:	•••	0.02	0.02

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित व्यय की पूर्ति है:

The supplementary grant is required for meeting the expenditure on:

- (क) प्रत्यावर्तन कैदी अधिनियम के अन्तर्गत मारीशस से भारत को कैदियों का प्रत्यावर्तन (0.05 करोड़ रुपए)।
- (ख) असम समझौते के अनतर्गत अशोक पेपर मिल को पुनर्जीवित करने हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति (1 करोड़ रुपए)।
- चूंकि अनुदान के इसी भाग के अर्न्तगत उक्त व्ययों की पूर्ति हेतु बचतें
- (a) repatriation of prisoners from Mauritius to India under the Repatriation of Prisoners Act (Rs.0.05 crore).
- (b) appointment of consultant to revive Ashok Paper Mill under the Assam Accord(Rs.1 crore).

As savings are available to meet the above expenditures within उपलब्ध हैं, इसलिए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। the same Section of the Grant, token supplementary is sought in each case.

# स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

# (पूर्वनाम-बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग)

# DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY (PREVIOUSLY-DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION AND LITERACY)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिए)। (See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पुंजी जोड़ राजस्व Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः स्वीकृत Voted: 25878.71 25878.71 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत 0.02 0.02 Voted: जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) स्वीकृत 25878.73 25878.73 II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-भिन्न जोड Plan Non-Plan Total राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2202-सामान्य शिक्षा स्वीकृत 2202-General Education Voted: 0.01(कa) 0.01 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वीकृत Voted: 0.01(खb) 0.01 2552-North Eastern Areas स्वीकृत Total (Supplementary) जोड़ (पूरक) Voted: 0.02 0.02

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु माँगे गए हैं:

- (क) (i) मौजूदा राज्य संसाधन केन्द्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करने और "वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता" स्कीम के अंतर्गत नए राज्य संसाधन केन्द्रों को खोलने हेतु (13.10 करोड़ रुपए)।
  - (ii) 26 नव-सृजित जन-शिक्षण संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु (2.50 करोड़ रुपए)।

चूँकि समतुल्य बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

(ख) 25 राज्य संसाधन केन्द्रों (एसआरसी) पर वचनबद्धता व्यय की पूर्ति हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु और नए एसआरसी खोलने हेतु (0.80 करोड़ रुपए)।

चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है। The supplementary grant are required for the following:

- (a) (i) For providing technical asistance to existing State Resource Centres and for opening the new State Resource Centres under the scheme of "Support to NGOs in the Field of Adult Education" (Rs.13.10 crore).
  - (ii) For providing financial assistance to 26 newly created Jan Shikshan Sansthan (2.50 crore).

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(b) To meet the committed expenditure on existing 25 State Resource Centres (SRCs), for providing technical support and for opening newSRCs (Rs.0.80 crore).

As matching savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### उच्च शिक्षा विभाग

### (पूर्वनाम - माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा)

### DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

#### (PREVIOUSLY - DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION AND HIGHER EDUCATION)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 और वर्ष 2006-07 की अनुदानों के पहले बैच की पूरक मागों का पृष्ठ 32 देखिए)। (See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 32 of the First Batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Capital **Total** Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः Voted: 6982.27 0.01 6982.28 पुरक अनुदानः **SUPPLMENTARY GRANT:** स्वीकृत Voted: 0.02 0.02 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत Voted: 0.03 0.03 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) स्वीकृत 6982.32 0.01 6982.33 Voted:

II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		n. i ms Supplementary Grant		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा		2202-General Education				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (कa)	•••	0.01
2203-तकनीकी शिक्षा		2203-Technical Education				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (खb)	•••	0.01
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to State				
सहायता	स्वीकृत	Governments	Voted:	0.01 (тc)		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	•••	0.03

- ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:
- (क) (i) संस्कृत-सम विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और सीबीएसई को 'संस्कृत पंडितों' के 'सम्मान राशि' के भुगतान हेतु सहायता और 'गैर सरकारी संगठनों (एजीओ)/संस्थानों को अनुदान (4.58 करोड़ रुपए)।
  - (ii) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लेंग्वैजेज़, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) को राष्ट्रीय परीक्षण सेवा की स्थापना (0.83 करोड़ रुपए) के लिए और तिमल भाषा के विकास (1.82 करोड़ रुपए) हेतु स्कीम के तहत विभिन्न क्रियाकलापों को पूरा करने हेतु सहायता।
- (ख) 'प्रशिक्षुता संबंधी प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और पारिश्रिमिक' स्कीम के तहत वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों/ उद्योगों को पारिश्रमिक बिलों का निपटान (17.70 करोड़ रुपए)।
- (ग) अपंग बच्चों को एकीकृत शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता (8.15 करोड़ रुपए)।

चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे गए हैं। The supplementary grants are required for the following pusporses:

- (a) (i) Assistance to Deemed Sanskrit University, Rashtriya Sanskrit Sansthan and CBSE for payment of 'Samman Rashi' to 'Sanskrit Pandits' and 'Grants to NGOs/Institutions' (Rs.4.58 crore).
  - (ii) Assistance to Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) for establishment of National Testing Service (Rs.0.83 crore) and for completing various activities under scheme for Development of Tamil Language (Rs.1.82 crore).
- (b) To settle the outstanding stipend bills of various Establishments/ Industries during 2003-04 to 2005-06 under the scheme 'Apprenticeship Training Scholarships and Stipends' (Rs. 17.70 crore).
- (c) Assistance to State Governments for Integrated Education for Disabled Children (Rs.8.15 crore).

As matching savings are available in the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

### महिला तथा बाल विकास मंत्रालय

### (पूर्वनाम-महिला तथा बाल विकास विभाग)

### MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (PREVIOUSLY DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिए)। (See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Capital **Total** Revenue I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत 4852.94 4852.94 Voted: इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: 45.51 45.51 स्वीकृत Voted: जोड़ (मूल और पुरक) Total (Original plus Supplementary) स्वीकृत 4898,45 4898.45

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
				Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा व	ल्याण -	2235-Social Security and We	lfare				
	स्वीकृत		Voted:	17.71 (कa)	1.50 (खb)	19.21	
2252- पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2252-North Eastern Areas	Voted:	3.50 (чc)		3.50	
3601- राज्य सरकारो को सहाय	ता	3601-Grants-in-aid to State					
अनुदान	स्वीकृत	Governments	Voted:	20.70 (ਬd)		20.70	
3602- संघ राज्य क्षेत्र की सरक	<b>ा</b> रों	3602-Grants-in-aid to Union					
को सहायता अनुदान	स्वीकृत	<b>Territory Governments</b>	Voted:	2.10 (se)		2.10	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	44.01	1.50	45.51	

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है :

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (क) आईएफएडी से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश और बिहार में महिला सशक्तिकरण परियोजना की "प्रियदर्शिनी" नामक योजना को सहायता (२.५५ करोड़ रुपए)।
  - चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पुरक अनुदान मांगा गया है।
- (ii) सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय से महिला तथा बाल विकास को कार्य/योजनाओं के कतिपय मदों के अन्तरण के फलस्वरूप (45.50 करोड़ रुपए), निम्नलिखित अनुदानों की पूरक मांगों का मांग सं. 87-सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय से अभ्यर्पित की जाने वाली समकक्ष राशियों के लिए मांगा गया है।
- (क) योजनाओं के अन्तर्गत कार्यान्वयन अभिकरणों को सहायता, अर्थात (i) "स्वदेश में गोद लेने" को प्रोत्साहन देने हेत् शिश् तथा नौजवानों के लिए घरों का निर्माण (2.50 करोड़ रुपए), (ii) बेसहारा बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल, योजना तथा आश्रय आदि सम्बन्धी योजना (12.00 करोड़ रुपए), (iii) देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले कामगार बच्चों के कल्याण की योजना (3.00 करोड़ रुपए) और (iv) किशोरों के असंतुलित व्यवहार की रोकथाम तथा नियंत्रण (0.20 करोड़ रुपए)।

- - (i) (a) Assistance to a scheme entitled 'Priyadarshini', an IFAD Assisted Women's Empowerment Project in Uttar Pradesh and Bihar (Rs. 2.55 crore).
    - As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
  - (ii) Consequent on transfer of certain items of work/schemes (amounting to Rs. 45.50 crore) from the Ministry of Social Justice and Empowerment to the Ministry of Women and Child Development, the following supplementary Demands for Grants are sought against equivalent amounts to be surrendered from Demand No. 87-Ministry of Social Justice and Empowerment:
  - (a) Assistance to the implementing agencies under the schemes, i.e. i) Homes for Infant and Young Children for promotion of "In-country adoption" (Rs. 2.50 crore), ii) Scheme for Street Children for health care, nutrition, shelter, etc. (Rs. 12.00 crore), iii) Scheme for Welfare of Working Children in need of Care and Protection (Rs. 3.00) crore), and (iv) Prevention and Control of Juvenile Maladjustments (Rs. 0.20 crore).

- (ख) केन्द्रीय अंगीकरण संसाधन अभिकरण को सहायता (1.50 करोड़ रुपए) जो मान्यता प्राप्त सामाजिक/बाल कल्याण एजेंसियों की कार्यप्रणाली को विनियमित, मॉनीटर तथा निरीक्षण करता है।
- (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में निम्नलिखित योजनाओं को सहायता, अर्थात् (i) "स्वदेश में गोद लेने" को प्रोत्साहन देने हेतु शिशु तथा नौजवानों हेतु घरों का निर्माण (0.50 करोड़ रुपए), (ii) बेसहारा बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, आश्रय आदि की योजना (1.00 करोड़ रुपए) और (iii) किशोरों के असंतुलित व्यवहार की रोकथाम तथा नियंत्रण (2.00 करोड़ रुपए)।
- (घ) "किशोरों" के असंतुलित व्यवहार की रोकथाम तथा नियंत्रण" सम्बन्धी योजना पर राज्य सरकार को सहायता (20.70 करोड़ रुपए)।
- (ङ) किशोरों के असंतुलित व्यवहार को रोकथाम तथा नियंत्रण" सम्बन्धी योजना पर राज्य सरकार को सहायता (2.10 करोड़ रुपए)।

- (b) Assistance to Central Adoption Resource Agency (CARA) (Rs. 1.50 crore), which regulates, monitor and inspect the working of recognized social/child welfare agencies.
- (c) Assistance for the following schemes in the North Eastern Region and Sikkim, i.e. i) Homes for Infant and Young Children for promotion "In-country adoption" (Rs. 0.50 crore), ii) Scheme for Street Children for health care, nutrition, shelter, etc. (Rs. 1.00 crore) and (iii) Prevention and Control of Juvenile Maladjustments (Rs. 2.00 crore).
- (d) Assistance to State Governments in the schemes of "Prevention and Control of Juvenile Maladjustments" (Rs. 20.70 crore).
- (e) Assistance to Union Teritory Governments in the scheme of "Prevention and Control of Juvenile Maladjustments" (Rs. 2.10 crore).

### सूचना और प्रसारण मंत्रालय MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिए)। (See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

					(करोड़ रुपए Ru	pees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित		Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत		Voted:	1558.57	157.47	1716.04
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate	of			
का पूरक अनुमान		the amount now required	:			
	स्वीकृत		Voted:	0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Su	pplementary)	1558.62	157.47	1716.09
	भारित		Charged:	0.03		0.03
	स्वीकृत		Voted:	1558.59	157.47	1716.06
		II.इस पूरक अनुदान का हिस	ाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अन्तर्गत दिख	गया जाएगाः	
		II.This Supplementary Gr	ant will be accounted	ed for under the foll	owing Major H	ead:
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		<b>REVENUE SECTION</b>				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2220-सूचना तथा प्रचार		2220-Information and				
		Publicity				
	स्वीकृत		Voted:	0.01(কa)	0.01(खb)	0.02

इस पूरक अनुदानों की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

- (क) "विकासात्मक प्रचार कार्यक्रमः अवधारणा तथा प्रसारण" योजना के अन्तर्गत सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले जन-जागरूक अभियानों पर होने वाले 20.56 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
- (ख) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर प्रेस आसूचना ब्यूरो द्वारा जन-सूचना अभियान को निष्पादित करने हेतु 10 करोड़ रुपए के होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत समकक्ष बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे गए हैं। The supplementary grants are required for the following purposes:

- (a) For meeting the additional expenditure of Rs.20.56 crore towards Public Awareness Campaigns to be organized through electronic and print media on flagship programmes of the Government under the scheme 'Developmental Publicity Programme: Conception & Dissemination'.
- (b) For meeting additional expenditure of Rs.10 crore for carrying out Public Information Campaign by Press Information Bureau on National Common Minimum Programme (NCMP) and flagship programmes of the Government.

As equivalent savings are available within the revenue section of the grant, token supplementaries are sought.

### विधि और न्याय LAW AND JUSTICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 और वर्ष 2006-2007 के अनुदानों के पहली बैच की पूरक माँगों का पृष्ठ 33 देखिए)।

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page No.33 of the First batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड पूंजी राजस्व Capital **Total** Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः स्वीकृत Voted: 872.92 0.03 872.95 I. पूरक अनुदानः **SUPPLEMENTARY GRANT:** स्वीकृत Voted: 0.01 0.01 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: 0.02 स्वीकृत 0.02 Voted: जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) स्वीकृत 872.95 0.03 872.98 II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-भिन्न जोड Plan Non-Plan Total राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2014-न्यायकरण 2014-Administration of स्वीकृत Justice Voted: 0.01(कa) 0.01 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ 2052-Secretariat General स्वीकृत Services Voted: 0.01(खb) 0.01 जोड़ (पूरक) **Total (Supplementary)** स्वीकृत Voted: 0.01 0.01 0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित हैः

- (क) यूएनडीपी के सहयोग से विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना "न्याय प्राप्ति का सशक्तिकरण" (एसएजेआई) के कार्यान्वयन हेतु (3.50 करोड़ रुपए)।
- (ख) भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) को इसके स्वर्ण जयंती समारोह के लिए एकबारगी सहायता अनुदान (0.60 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु।

चूँकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगे गए हैं। The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) Implementing an externally aided project "Strengthening of Access to Justice" (SAJI) in collaboration with the UNDP (Rs.3.50 crores).
- (b) Providing one-time grant-in-aid to Indian Law Institute (ILI) for its Golden Jubilee celebrations (Rs.0.60 crores).

As savings are available within the same Section of the Grant, token Supplementaries are sought.

### खान मंत्रालय MINISTRY OF MINES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 देखिए)। (See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Revenue Capital **Total** I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः भारित Charged: 0.10 0.10 स्वीकृत Voted: 362.97 131.95 494.92 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत 58.86 Voted: 58.85 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 421.92 131.96 553.88 भारित 0.10 Charged: 0.10... स्वीकृत 421.82 131.96 553.78 Voted: II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: आयोजना आयोजना-भिन्न जोड Non-Plan Plan **Total** राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2853-अलौह खनन एवं 2853-Non-ferrous Mining and धातुकर्मीय उद्योग Metallurgical Industries स्वीकृत Voted: 58.85 (कa) 58.85 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4853-अलौह खनन एवं 4853-Capital Outlay on Non-धातुकर्मीय उद्योगों पर ferrous Mining and पूंजी परिव्यय Metallurgical Industries स्वीकृत 0.01 Voted: 0.01 (खb)

Voted:

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु माँगे गए हैः

जोड़ (पूरक)

(क) (i) खनिज अन्वेषण निगम लि. की पुनर्संरचना के फलस्वरूप दि. 31.3.2005 को लेखा समायोजन अर्थात ब्याज एवं दंडात्मक ब्याज (58.84 करोड़ रुपए) को माफ, करने हेतु। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

स्वीकृत

Total (Supplementary)

- (ii) राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य के संबंध में अतिरिक्त आवश्यकताओं (0.26 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (ख) खनिज अन्वेषण निगम लि. के पुनर्संरचना के परिणाम स्वरूप दि. 31.3.2005 को लेखा समायोजन अर्थात भारत सरकार के बकाया ऋण (45.80 करोड़ रुपए) को इक्विटी में बदलने हेतु। एक सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा जा रहा है।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

58.85

58.86

0.01

- (a) (i) For carrying out accounting adjustment, viz. waiver
  of interest and penal interest (Rs.58.84 crore) as on
  31.3.2005 consequent upon restructuring of Mineral
  Exploration Corporation Ltd. This will not entail any
  cash outgo.
  - (ii) For meeting the additional requirements (Rs.0.26 crore) in respect of National Institute of Miner's Health. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is being sought.
- (b) For carrying out accounting adjustment, viz. conversion of outstanding Government of India loan (Rs.45.80 crore) as on 31.3.2005 into equity, consequent upon restructuring of Mineral Exploration Corporation Ltd. A token supplementary is being sought.

## नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (पूर्वनाम - गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय)

### MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(Previously - Ministry of Non-Conventional Energy Sources)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिए और वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पहली पूरक अनुदान मांगों का पृष्ठ 34 देखिए)।

(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 34 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड पुंजी राजस्व Capital **Total** Revenue I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: Voted: 538.39 65.25 603.64 स्वीकृत पुरक अनुदानः SUPPLEMENTARY GRANT: Voted: 0.01 0.01 स्वीकृत इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) स्वीकृत Voted: 538.41 65.25 603.66

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2810-गैर-पारम्परिक		2810-Non-Conventional				
ऊर्जा स्रोत	स्वीकृत	Sources of Energy	Voted:	0.01		0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	Voted:	0.01	•••	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु आवश्यक है:-

- (i) पूरानी वचनबद्धताओं की आवश्यकता और राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के तहत बायो गैस संयंत्रों की वर्द्धित मांगों की पूर्ति हेतु (10.05 करोड़ रूपए)।
- (ii) सौर फोटोवोल्टीय प्रदर्शन और प्रौद्योगिकी (19 करोड़ रूपए) और सौर फोटोवोल्टीय पम्प कार्यक्रम (1 करोड़ रूपए) के अंतर्गत विगत वर्षों के लेखों के निपटान की पूर्ति हेतु।
- (iii) ''औद्योगिक कचरे से ऊर्जा सब्सिडियां'' योजना के तहत 15 मेगावाट से 20 मेगावाट क्षमता के भौतिक लक्ष्यों के संवर्धन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (2.5 करोड़ रूपए), तथा
- (iv) लघु पनिबजली संवर्धन कार्यक्रम के तहत चालू योजनाओं की बकाया वचनबद्धताओं और अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु (10.50 करोड़ रूपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। This supplementary grant is required for the following purposes:-

- (i) To meet the requirement of old commitments and also for increased demands of Biogas plants under 'National Programme for Biogas Development' (Rs. 10.05 crore).
- (ii) To meet the settlements of accounts of the previous years under Solar Photovoltaic demonstration and technology (Rs. 19 crore), and Solar Photovoltaic Pump Programme (Rs. 1 crore).
- (iii) To meet the additional expenditure arising out of enhancement of physical targets from 15 MW to 20 MW capacity under the scheme "Energy from Industrial Waste subsidies" (Rs. 2.5 crore), and
- (iv) To meet outstanding commitments and additional requirement of on-going schemes under Small Hydro Project Promotion Programme (Rs. 10.50 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

0.01

#### मांग संख्या DEMAND NO.67

### पंचायती राज मंत्रालय MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 देखिए)। (See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

जोड राजस्व पूंजी Capital **Total** Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः स्वीकृत Voted: 3825.73 3825.73 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पुरक) Total (Original plus Supplementary) स्वीकृत 3825.74 3825.74 Voted: II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना-भिन्न आयोजना जोड Non-Plan Plan **Total** 

Voted:

Institutions.

राजस्व भाग REVENUE SECTION
मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD
2515-अन्य ग्रामीण विकास 2515-Other Rural Development

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु मांगा गया है :

कार्यक्रम स्वीकृत Programmes

The supplementary grant is sought for the following purposes:

0.01

- (i) पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए विदेशी सहायता (5.00 करोड़ रुपए) हस्तान्तरण करने हेतु।
- (ii) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अन्तर्गत राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकारी मंच को अंशदान प्रदान करने हेतु (0.05 करोड़ रुपए)।
- चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (i) For pass-through of external assistance (Rs. 5.00 crore) for Training and Capacity Building of elected representatives and functionaries of Panchayati Raj
- (ii) For contribution (Rs.0.05 crore) to Commonwealth Local Government Forum under International Co-operation.

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 और केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिए)।

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 36 of First Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

					(करोड़ रुपए R	upees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	स्वीकृत	I. ORIGINAL GRANT:	Voted:	3106.62		3106.62
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GR	ANT:			
6	स्वीकृत		Voted:	14150.01		14150.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	C	Supplementary Estimate of the amount now required:				
471 4(47 013111	स्वीकृत	the amount now required.	Voted:	5000.00		5000.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supple	ementary)			
	स्वीकृत		<b>Voted:</b>	22256.63	•••	22256.63
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब II. This Supplementary Gran				jor Head:
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	। जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
<b>मुख्य शीर्ष</b> 2802-पेट्रोलियम		MAJOR HEAD	V-4-1.		5000.00	5000.00
2802-4ÇIIM4 <del>1</del>	स्वीकृत	2802-Petroleum	Voted:		5000.00	5000.00
		टिप्पणी : अतिरिक्त आवश्यकता व गया हैं, जिसका समार्य				साब में नहीं लिया
		Note: The above estimates Receipts shown below		*		
8012-विशेष जमाराशियां और और लेखा	स्वीकृत	8012-Special Deposits and Accounts	Voted:		(-) 5000.00	(-) 5000.00

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता घरेलू एलपीजी और पीडीएस केरोसिन के खाते में वर्ष 2006-07 में अनुमानित कम वसूलियों के लिए तेल विपणन कम्पनियों को विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से क्षतिपूर्ति (5000.00 करोड़ रुपए) प्रदान करने के लिए है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for providing compensation through issue of Special Securities to the Oil Marketing Companies towards estimated under recoveries in 2006-07 on account of domestic LPG & PDS Kerosene (Rs. 5000.00 crore). It does not entail any cash outgo.

### विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 देखिए)। (See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड राजस्व पूंजी **Total** Revenue Capital I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः स्वीकृत Voted: 5188.42 1797.74 6986.16 Supplementary Estimate of इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) स्वीकृत 5188.43 1797.74 6986.17 Voted: II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना-भिन्न आयोजना जोड Non-Plan Plan **Total** राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2801-विद्युत 2801-Power स्वीकृत Voted: 0.01 0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता ऊर्जा के कारगर उपयोग तथा इसके संरक्षण हेतु सूचना के प्रसार हेतु राष्ट्रीय अभियान चलाने के लिए है (3 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यय की पूर्ति की जाएगी, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for National Campaign to disseminate information for efficient use of energy and its conservation (Rs.3 crore). As the expenditure will be met from the savings available within the Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought.

### ग्रामीण विकास विभाग DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिए)। (See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Capital **Total** Revenue I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: 39073.18 स्वीकृत Voted: 39073.18 पूरक अनुदानः SUPPLMENTARY GRANT: स्वीकृत Voted: 16205.00 16205.00 Supplementary Estimate of इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत 250.02 250.02 Voted: जोड़ (मूल और पूरक) **Total (Original plus Supplementary)** स्वीकृत 55528.20 55528.20 Voted:

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2505-ग्रामीण रोजगार	स्वीकृत	2505-Rural Employment	Voted:	0.01 (कa)		0.01
2515–अन्य ग्रामीण विकास		2515-Other Rural Developm	ent			
कार्यक्रम		Programmes	Voted:	0.01 (खb)	•••	0.01
3054-सड़कें एवं पुल	स्वीकृत	3054-Roads and Bridges	Voted:	250.00 (тс)		250.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	250.02	•••	250.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माँगा गया है:

- The supplementary grant is sought for meeting additional requirements of the following:
- (क) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के खाद्यान्त संघटक में कमी होने के कारण नकद संघटक में वृद्धि (1318 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) ग्रामीण विकास और अन्य अभिकरणों के राज्य संस्थानों को सहायता (6.97 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के कार्यान्वयन हेतु, विदेशी सहायता हस्तान्तरित करने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (a) Increase in cash component on account of reduction in the food grain component of Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (Rs.1318 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Assistance to State Institutes of Rural Development and Other Agencies (Rs.6.97 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) For pass-through of external assistance for implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. This will entail cash outgo.

### विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिए)। (See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

					(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित	C	harged:	0.07		0.07	
	स्वीकृत		Voted:	1605.59	153.60	1759.19	
इस समय आवश्यक रकम	C	Supplementary Estimate of					
का पूरक अनुमान		the amount now required:					
	स्वीकृत		Voted:	0.01	0.96	0.97	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supple	ementary)	1605.67	154.56	1760.23	
	भारित	C	harged:	0.07	•••	0.07	
	स्वीकृत		Voted:	1605.60	154.56	1760.16	
	Č	II.इस पूरक अनुदान का हिसाब नि	मनलिखित मुख्य	शीर्षों के अन्तर्गत दिख	ाया जाएगाः		
		II.This Supplementary Grant	· ·			eads:	
		11 7		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
				Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
3425-अन्य वैज्ञानिक		3425-Other Scientific					
अनुसंधान		Research					
3	स्वीकृत		Voted:	0.01 (কa)		0.01	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION		0.01 (/4)		0.01	
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
5425- अन्य वैज्ञानिक एवं		5425-Capital Outlay on Other					
पर्यावरणीय अनुसंधान		Scientific and					
पर पूंजी परिव्यय		Environmental Research					
<del>-</del> ,	स्वीकृत		Voted:		0.96 (खb)	0.96	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.96	0.97	

इस पुरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए है:

- (क) अतिरिक्त सहायता अनुवानों का भुगतान करने के लिए (i) श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम को गरीब रोगियों को सब्सिड़ी दर पर उपचार पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति करने को लिए (10.00 करोड़ रूपए); (ii) चूर्ण धातुकर्म और नई सामग्री संबंधी उन्नत अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद को जलापूर्ति प्रणाली के लिए व्यवस्था करने, सीमाशुल्क में बढ़ोतरी की पूर्ति करने और आईआईटी, मद्रास अनुसंधान पार्क में स्थान का अधिग्रहण करने के लिए (7.00 करोड़ रुपए); और (iii) राज्य वैद्यशाला, नैनीताल को 3.5 मीटर के टेलीस्कोप के लिए कोरे शीशों की खरीद करने हेतु (4.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) प्रौद्योगिकी भवन और विज्ञान सदन, नई दिल्ली के निर्माण, एयर कंडीशनिंग और मरम्मत का कार्य करने के लिए उपकरणों की खरीद हेतु। चूंकि अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

- (a) payment of additional grants-in-aid to (i) Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram for reimbursing expenditure towards subsidised treatment of poor patients (Rs.10.00 crore), (ii) Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad for catering to water supply system, meeting hike in customs duty and for acquiring space in IIT, Madras Research Park (Rs.7.00 crore) and (iii) State Observatory, Nainital for procurement of mirror blanks for a 3.5 metre telescope (Rs.4.00 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) construction, air-conditioning and purchase of equipment to undertake renovation work in Technology Bhavan and Vigyan Sadan, New Delhi. As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue/Voted section of the Grant, a technical supplementary is sought. This will not entail any cash outgo.

### नौवहन विभाग DEPARTMENT OF SHIPPING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिए)।

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

					(करोड़ रुपए Rupees in Croi		
				राजस्व	पूंजी	जोड़	
				Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:					
	स्वीकृत		Voted:	786.52	588.65	1375.17	
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRAN	<i>T</i> :				
	स्वीकृत		Voted:		0.02	0.02	
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of					
का पूरक अनुमान	-	the amount now required:	¥7-4- 1.	212.04	0.01	212.05	
~ (~ ~ ~ ~ ~ ~ )	स्वीकृत	T 110 1 1 1 6 1	Voted:	213.84	0.01	213.85	
जोड़ (मूल और पूरक)	•	Total (Original plus Supple					
	स्वीकृत		Voted:	1000.36	588.68	1589.04	

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION		<b></b>	11011 1 11111	10001
मुख्य शीर्ष 3056- अन्तर्देशीय जल परिवहन		MAJOR HEAD 3056-Inland Water Transport				
	स्वीकृत		Voted:		213.84 (কa)	213.84
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5056-अन्तर्देशीय जल परिवहन		5056-Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय		Inland Water Transport				
	स्वीकृत		Voted:		0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	C	Total (Supplementary)				
	स्वीकृत		Voted:	•••	213.85	213.85

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेत् हैः

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (क) (i) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को उसके कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी के भुगतान पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदान (5.40 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराना। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए पूरक अनुदान मांगा गया है। (ii) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के पक्ष में दिनांक 31.1.2007 की स्थिति अनुसार बकाया ब्याज (213.83 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डालना। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- परिवहन निगम के पक्ष में 120.48 करोड़ रुपए की राशि के बकाया ऋण को कम्पनी में इक्विटी में परिवर्तित करना। चूंकि यह लेखा समायोजन है, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (i) Providing additional grants-in-aid (Rs.5.40 crore) to Central Inland Water Transport Corporation (CIWTC) to meet expenditure on payment of salary & wages to its employees. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought. (ii) Write-off of the interest (Rs.213.83 crore) outstanding against Central Inland Water Transport Corporation (CIWTC) as on 31.1.2007. This will not involve cash outgo.
- (स) दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल (b) Conversion of outstanding loan amounting to Rs.120.48 crore as on 31.3.2005 against Central Inland Water Transport Corporation (CIWTC) into equity in the Company. Since this is an accounting adjustment, a token supplementary is sought.

### सङ्क परिवहन और राजमार्ग विभाग DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिए)। (See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

				(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व	पूंजी	जोड़	
			Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान :		I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.80	5.70	6.50	
	स्वीकृत	Voted:	11960.30	11644.25	23604.55	
पूरक अनुदान :		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत	Voted:		0.01	0.01	
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.01		0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	11961.11	11649.96	23611.07	
	भारित	Charged:	0.80	5.70	6.50	
	स्वीकृत	Voted:	11960.31	11644.26	23604.57	

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3054-सड़कें एवं पुल	स्वीकृत	3054-Roads and Bridges	Voted:	•••	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएचई) को संस्थान द्वारा पट्टे पर धारित भूमि के संबंध में नोएडा प्राधिकरण को पट्टा के किराए के एकबारगी भुगतान पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु सहायता-अनुदान (2.97 करोड़ रुपए) प्रदान करने के लिए मांगा गया है। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

This supplementary grant is sought for providing grants-inaid (Rs. 2.97 crore) to National Institute of Training of Highway Engineers (NITHE) for meeting expenditure on one time payment of lease rent to the NOIDA Authority, in respect of the land held on lease by the Institute. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought. I. मूल अनुदानः

#### मांग संख्या DEMAND NO. 86

### लघु उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिए)। (See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

राजस्व पूंजी जोड़ Revenue Capital Total 505.24 19.00 524.24

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

इस समय आवश्यक रकम Supple का पूरक अनुमान the amo

Supplementary Estimate of the amount now required:

I. ORIGINAL GRANT:

Voted: 0.01 ... 0.01

जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) स्वीकृत Voted:

स्वीकृत

स्वीकृत

Voted: 505.25 19.00 524.25

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

Voted:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		<b>REVENUE SECTION</b>				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग		2851-Village and Small				
_	स्वीकृत	Industries	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम (18.50 करोड़ रुपए) के अंतर्गत और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु (5.90 करोड़ रुपए) पैकेज के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतू मांगा गया है।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grant is sought for meeting additional requirement under the Credit Linked Capital Subsidy Scheme (Rs. 18.50 crore) and for Package for Promotion of Micro and Small Enterprises (Rs. 5.90 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

# अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिए)। (See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.41	0.35	0.76
	स्वीकृत	Voted:	3091.91	517.75	3609.66
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	भारित	Charged:	•••	0.10	0.10
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	3092.32	518.20	3610.52
	भारित	Charged:	0.41	0.45	0.86
	स्वीकृत	Voted:	3091.91	517.75	3609.66

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
<b>पूँजी भाग</b> <b>मुख्य शीर्ष</b> 5402- अंतरिक्ष अनुसंधान पर		CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 5402-Capital Outlay on				
पूँजी परिव्यय	भारित	Space Research	Charged:	0.10		0.10

यह पूरक विनियोग न्यायालय की डिक्री से हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूँकि, अनुदान के पूँजी (स्वीकृत) भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure arising out of court decree. As an equivalent amount will be surrendered from Capital (Voted) section of the grant, there will be no cash outgo.

### सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिए)। (See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

					(करोड़ रुपए Rupees in Crore)	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	1788.65	27.92	1816.57
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.67		0.67
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supple	ementary)			
	स्वीकृत		Voted:	1789.32	27.92	1817.24
		II.इस पूरक अनुदान का हिसाब नि	नेम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अन्तर्गत दिर	ब्राया जाएगाः	
		II.This Supplementary Grant	will be account	ted for under the fol	lowing Major H	ead:
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		<b>REVENUE SECTION</b>				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय आर्थिक		3451-Secretariat Economic				
सेवाएँ (I)	स्वीकृत	Services (I)	Voted:		0.67	0.67
जोड़ पूरक	स्वीकृत	Total Supplementary	Voted:	•••	0.67	0.67

यह पूरक अनुदान नवगठित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के प्रशासनिक व्यय (0.67 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु मांगा गया है। इसमें नकद व्यय होगा।

Supplementary grant is sought for meeting the administrative expenditure of the newly constituted National Statistical Commission (Rs.0.67). This will entail cash outgo.

### इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिए)। (See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	0	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	84.50	45.00	129.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:				
<i>a</i> 3	स्वीकृत	1	Voted:	70.22	51.90	122.12
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Suppler	nentary)			
	स्वीकृत		Voted:	154.72	96.90	251.62

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
<b>मुख्य शीर्ष</b> 2852-उद्योग	स्वीकृत	MAJOR HEAD	Make d.		70.22 ()	70.22
2852-उद्याग	स्वाकृत	2852-Industries	Voted:		70.22 (कa)	70.22
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
6852- लोहा और इस्पात उद्योगों		6852-Loans for Iron and				
के लिए ऋण	स्वीकृत	Steel Industries	Voted:		51.90 (खb)	51.90
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	•••	122.12	122.12

- ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु मांगे गए हैं।
- (क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. के लेखा समायोजन, अर्थात् दण्डात्मक गारंटी शुल्क (70.22 करोड़ रुपए) की माफी (भारतीय लोहा एवं इस्पात कम्पनी लि. का 1.74 करोड़ रुपए दण्डात्मक गारंटी शुल्क सहित) करने हेतु। इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्तियों से की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि. के कर्मचारियों को बकाया वेतन एवं मजदूरी तथा सांविधिक देयराशि (30.46 करोड़ रुपए) और हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि. के कर्मचारियों को वेतन एवं मजदूरी (21.44 करोड़ रुपए) के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि. और हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि. को ऋण प्रदान करने हेत्। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) For carrying out accounting adjustment, viz. waiver of penal guarantee fee (Rs. 70.22 crore) of Steel Authority of India Ltd. (inclusive of Rs. 1.74 crore penal guarantee fee of Indian Iron & Steel Company Ltd). As this will be matched by receipts, there will be no cash outgo.
- (b) For extending loans to Bharat Refractories Ltd. and Hindustan Steelworks Construction Ltd. for meeting additional expenditure on payment of outstanding salaries and wages and statutory dues (Rs. 30.46 crore) to the employees of Bharat Refractories Ltd. and salaries and wages (Rs. 21.44 crore) to the employees of Hindustan Steelworks Construction Ltd. This will entail cash outgo.

### जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिए)। (See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड रुपए Rupees in Crore)

					(4) KI & KY KU	pees in Crore)
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL G	RANT:			
भा	रित		Charged:	1495.80		1495.80
स्वीव	कृत		Voted:	157.65	14.01	171.66
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Es	timate of			
का पूरक अनुमान		the amount now r	equired:			
स्वीव	कृत		Voted:	0.98		0.98
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original	plus Supplementary)	1654.43	14.01	1668.44
भा	रित		Charged:	1495.80		1495.80
स्वीव	कृत		Voted:	158.63	14.01	172.64
		II.इस पूरक अनुदान	का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्ष के अन्तर्गत दिः	खाया जाएगाः	
		II.This Supplement	tary Grant will be accounted	ed for under the fo	llowing Major H	lead:
				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SEC	TION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित		2225-Welfare of S	Scheduled			
जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों		Castes, Sche	eduled Tribes			
का कल्याण		and other Bac	ckward classes			
स्वीव	कृत		Voted:	0.98		0.98

यह पूरक अनुदान अनुसूचित जनजाति के कल्याण से सम्बद्ध योजना के कार्यान्वयन पर व्यय की पूर्ति हेतु भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास फेडरेशन लि. को अतिरिक्त सहायता अनुदान की व्यवस्था करने के लिए अपेक्षित है।

This supplementary grant is required for providing additional grants-in-aid to the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED) to meet expenditure on implementation of the Scheme for the Welfare of the Scheduled Tribes.

चूंकि अनुदान के पूंजी/स्वीकृत भाग से समकक्ष राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

As an equivalent amount will be surrendered from the Capital/Voted Section of the Grant, this will not entail cash outgo.

### अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिए)।

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड पूंजी राजस्व Capital **Total** Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः भारित Charged: 0.01 0.01 स्वीकृत Voted: 1301.01 754.84 2055.85 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदानः स्वीकृत Voted: 0.01 0.01 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत 0.01 Voted: 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) **Total (Original plus Supplementary)** 1301.04 754.84 2055.88 Charged: भारित 0.01 0.01 स्वीकृत Voted: 1301.03 754.84 2055.87 II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-भिन्न जोड Plan Non-Plan **Total** राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** गृह मंत्रालय Ministry of Home affairs 2245-प्राकृतिक आपदाओं 2245-Relief on account के कारण राहत of Natural Calamities स्वीकृत Voted: 0.01 0.01 जोड-राजस्व भाग स्वीकृत Voted: **Total (Supplementary)** 0.01 0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता सुनामी के कारण नुकसान उठाए (53.03 करोड़ रूपए) लघु व्यापारियों और व्यवसायियों के सम्बन्ध में बैंक ऋणों पर मूलधन तथा ब्याज को बट्टे खाते डालने/माफ करने के लिए है। The supplementary grant is required for write-off/waiver of principal and interest on bank loans in respect of small traders and businessmen who have suffered losses due to Tsunami (Rs.53.03 crore)

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### शहरी विकास विभाग DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिए)।

(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

			(करोड़ रुपए Rupees in Cr		Supees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान :		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	26.08	31.00	57.08
	स्वीकृत	Voted:	1067.79	1120.54	2188.33
पूरक अनुदान :		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	30.00	0.01	30.01
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1123.88	1151.55	2275.43
	भारित	Charged:	26.08	31.00	57.08
	स्वीकृत	Voted:	1097.80	1120.55	2218.35

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2217-शहरी विकास	स्वीकृत	2217-Urban Development	Voted:	0.01		0.01

यह पूरक अनुदान विकेन्द्रित शहरी गवर्नेंस हेतु क्षमता निर्माण से संबद्ध परियोजना के कार्यान्वयन के लिए यूएनडीपी सहायता को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में अपेक्षित है (4 करोड़ रुपए)। चूंकि, अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत व्यय की पूर्ति के लिए बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for pass-through of UNDP assistance for implementation of the project on Capacity Building for Decentralized Urban Governance (Rs. 4 crore). As savings are available within the same section of the Grant to meet the expenditure, a token supplementary is sought.

### लोक निर्माण PUBLIC WORKS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121और वर्ष 2006-07 की पहली पूरक अनुदान की मांगों का पृष्ट 43 देखिए)। (See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

				(करोड़ रुपए R	upees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः	I. OR	IGINAL GRANT:			
¥	ारित	Charged:	1.00	1.00	2.00
स्वी	कृत	Voted:	779.77	267.54	1047.31
पूरक अनुदानः	<b>SUPP</b>	LEMENTARY GRANT:			
स्वी	कृत	Voted:	21.86	23.50	45.36
इस समय आवश्यक रकम	Supple	ementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	the am	ount now required:			
स्वी	कृत	Voted:		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total	(Original plus Supplementary)	802.63	292.05	1094.68
H	<i>ारित</i>	Charged:	1.00	1.00	2.00
स्वी	कृत	Voted:	801.63	291.05	1092.68

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4059-सार्वजनिक निर्माण कार्यों		4059-Capital Outlay on				
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Public Works	Voted:	0.01	•••	0.01

यह पूरक अनुदान विज्ञान भवन, नई दिल्ली के मुख्य हॉल तथा हॉल नं. 6 में साउंड सिस्टम के प्रतिस्थापन तथा आधुनिकीकरण पर होने वाले व्यय (4 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, उसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought to incur expenditure (Rs.4 crore) on replacement and modernization of sound system in the Main Hall and Hall No.6 of Vigyan Bhawan, New Delhi. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 124 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 45 देखिए)।

(See page 124 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 45 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

				(करोड़ रुपए $R$	upees in Crore)
			राजस्व	पूंजी	जोड़
			Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:		4.00	4.00
	स्वीकृत	Voted:	925.47	57.84	983.31
पूरक अनुदानः		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01		0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	925.49	61.84	987.33
	भारित	Charged:		4.00	4.00
	स्वीकृत	Voted:	925.49	57.84	983.33

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2701-मुख्य एवं मध्यम		2701-Major & Medium				
सिंचाई	स्वीकृत	Irrigation	Voted:	0.01	•••	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	***	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता 'जल संसाधन मंत्रालय में क्षमता निर्माण के सम्बन्ध में डीएफआईडी अनुदान' योजना के तहत विदेशी सहायता (0.08 करोड़ रुपए) के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए है। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is required for facilitating utilization of external assistance (Rs.0.08 crore) under the scheme 'DFID grant for Capacity Building at the Ministry of Water Resources'. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

### युवा मामले एवं खेल मंत्रालय MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125 तथा वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ देखिए)। (See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

					( करोड़ रुपए Rupees in Cr	
				राजस्व	पूंजी	जोड़
				Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदानः		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	662.47	6.53	669.00
पूरक अनुदानः		SUPPLMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत		Voted:	0.02	•••	0.02
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान		the amount now required:				
	स्वीकृत		Voted:	0.01		0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supple	ementary)			
	स्वीकृत		Voted:	662.50	6.53	669.03

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3601-राज्य सरकारों को सहायता	Ī	3601-Grants-in-aid to State				
अनुदान	स्वीकृत	Governments	Voted:	0.01		0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	<b>Voted:</b>	0.01	•••	0.01

यह पूरक अनुदान पूणे में राष्ट्रमंडल युवा खेलों, 2008 के सम्बन्ध में महाराष्ट्र राज्य सरकार को सहायता अनुदान (15.00 करोड़ रुपए) जारी करने के लिए है। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is for releasing Grants-in-aid to the State Government of Maharashtra in connection with Commonwealth Youth Games, 2008 at Pune (Rs.15.00 crore). As savings are available within the same section of the grant, token supplementary is sought.

#### अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2005-06 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग मूल बजट प्रावधान के 25 प्रतिशत अथवा 1 करोड़ रुपए, जो भी अधिक हो, से बढ़ जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceed 25% of the original Budget provision or Rs. 1 crore, whichever is more during 2005-06.

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)						
क्र.			बजट अनुमान	पुनर्विनियोग				
सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	योजना	2005-2006	की राशि	टिप्पणियां			
S1. No.	2	Scheme	Budget Estimates 2005-2006	Amount of Re-appropriation	Remarks			
1	2	3	4	5	6			
1.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour and	2230.01.111.02- कर्मचारी पेंशन योजना-1995 2230.01.111.02-			विगत वर्षों की बकाया राशि और चालू वर्ष की देय राशियों के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता थी। संशोधित अनुमान (सं.अ.) 2005-06 चरण मे अतिरिक्त आवश्यकता पर सहमति हुई।			
	Employment Employment	Employees' Pension Scheme 1995	700.00	50.00	Additional funds were required for payment of arrears of previous years and current year dues. The addionality was agreed at Revised Estimates (RE) 2005-06 stage.			
		2230.01.794.01-बीड़ी कामगार कल्याण निधि को अंतरण			विनिर्मित बीड़ी पर संग्रहित उपकर की द में बढ़ोत्तरी के कारण प्रारक्षित निधि के अंतरण की उच्चतम सीमा में संशोधन किय गया।			
		2230.01.794.01- Transfer to Beedi Workers Welfare Fund	86.50	38.50	Ceiling of transfer to reserve fund was revised due to increase of rate of cess collected on manufactured Beedi.			
		2230.01.797.04-एलएसडीएम निधि को अंतरण			अप्रैल, 2005 में फरवरी और मार्च, 2005 के उपकर संग्रहण जिसे वर्ष 2004-05 में अंतरित नहीं किया गया, की रिपोर्ट मिलने के कारण प्रारक्षित निधि में अंतरण की उच्चतम सीमा में संशोधन किया गया। वष् 2005-06 के दौरान उपकर के प्रत्याशा से अधिक संग्रहण की सूचना भी प्राप्त हुई।			
		2230.01.797.04- Transfer to LSDM Fund	10.00	6.00	Ceiling of transfer to reserve fund was revised due to reporting of cess collection of February and March 2005 in April, 2005, which was no transferred in 2004-05. More collection of cess than anticipated was also reported during the year 2005-06.			
		2230.01.109.06-संशोधित एकीकृत आवास योजना, 05		संशोधित एकीकृत आवास योजना, 2009 के तहत बीड़ी कामगारों के लिए आवार के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को सहायत अनुदान और सब्सिडियाँ प्रदान करने वे लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकत थी। अतिरिक्त निधि का अनुमोदन वष् 2005-06 के अनुदानों के पहले बैच की				

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6		

43.00

2230.01.109.06-Revised Integrated Housing Scheme, 05 Additional funds were required for providing Grants-in-Aid & subsidies to the State Governments for construction of houses for beedi workers under the Revised Integrated Housing Scheme, 2005. The additional fund was aproved in the 1st batch of supplementary demands for Grants 2005-06.